

GEOGRAPHY

GEOGRAPHY

15/7/13

World Physical Geography

Geomorphology

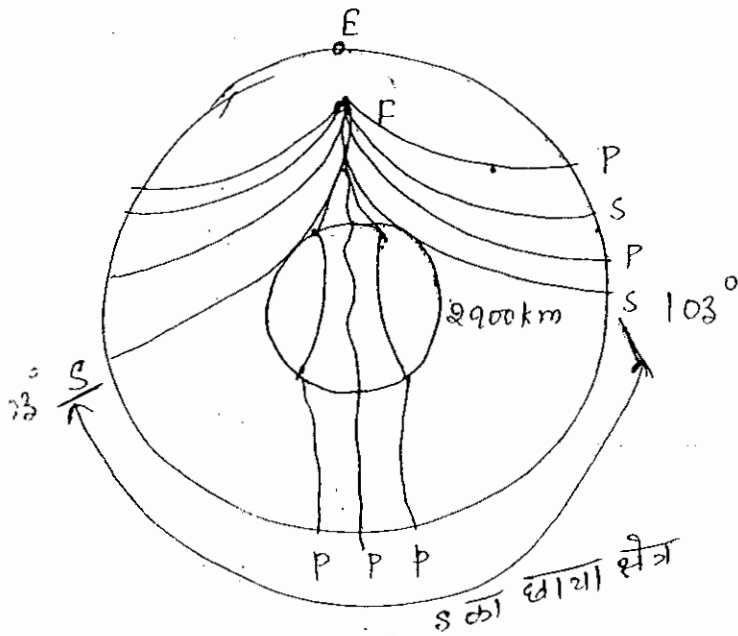
- भूकंपीय तरंगों एवं पृथ्वी की आंतरिक संरचना
- महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत
(Continental Drift Theory)
- समुद्री निल का प्रसरण
(sea floor spreading)
- प्लेट विवर्तनी (Plate Tectonics)
- पर्वत निर्माण
- भू - चुम्बकत्व (Geomagnetism)
- भूकम्प, ज्वालामुखी
- अपक्षय (Weathering)
- वृहत् अपक्षय / (Mass ~~weathering~~ wasting)
- सामूहिक स्थानांतरण Mass wasting
- अपरदन (Erosion)
- प्रमुख स्थलाकृतियाँ - नदी, खन, हिमानी / हिमनद
- सागरीय तरंगों
- भूमिगत जल / कार्स्ट स्थलाकृतियाँ

किंकीय
रंगों
का आधार
पर

पृथ्वी की आंतरिक संरचना

OR

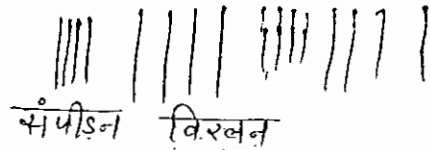
भूगर्भ की भौतिक अवस्था



P → Primary wave



- इसकी velocity सबसे अधिक
6 to 13 km/sec
- अनुदैर्घ्य तरंग
(Longitudinal wave)



- संचरण तीनों माध्यमों में
ठोस, द्रव, गैस

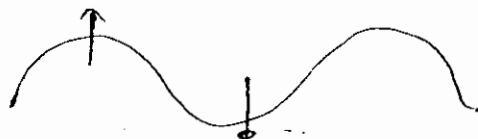
तरंग → form of energy
यहानों के
P की गति $\propto$ घनत्व व प्रत्यास्थाता
पर निर्भर करती है

S → secondary wave

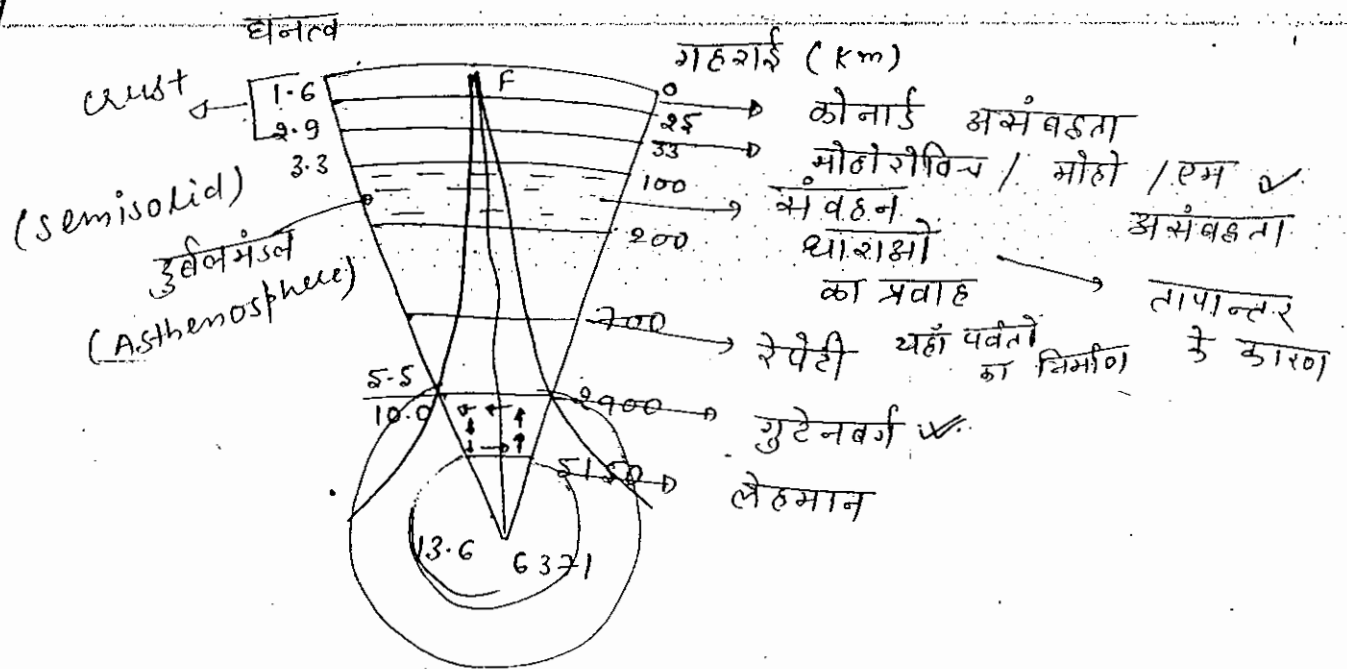


- P के बाद धरातल पर पहुँचती है
8.5 to 7 km/sec

- अनुप्रस्थ / अनुलम्ब तरंग (Transverse wave)
माध्यम के कणों का संचरण गति की दिशा
के लम्बवत् होता है। (कम्पन)



केवल ठोस में संचरण



१. पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में
अकम्प विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालिए

२. पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त विवरण

100 - 200 km → elasticity कम so, P & S velocity
decrease
after that velocity ↑

after 2900 km liquid state

↳ density 10.0 while no elasticity

so, P wave v. ↓

velocity & Elasticity

Crust → 0 to 33 km

upper mantle → 33 - 700 km

Lower mantle → 700 - 2900 km

outer core → 2900 - 5150

inner core → 5150 - 6371

Crust

- चट्टानें-ठोस एवं भंगुर (Brittle)

- 0 to 25 → silica > 60%

गेनेटिक से अधिक → continental crust.
(SIAL)

- 25 to 85

वैसाइटिक silica (क्षारीय चट्टान) < 45% (SIMA) → महासागरीय भूपटल → बेसाल्ट से निर्मित

→ जिसमें सिलिका की मात्रा कम हो

महासागरीय भूपटल →

ग्रेनाइट से निर्मित

Crust की मोटाई

5 - 48 km.

Mantle (25 - 2900 km)

- Ferromagnesium की अधिकता (Fe + Mg)

- अधिकांश आयतन तथा प्रथमान इसी भाग में

- 100 - 200 वाला भाग semisolid (झड़गलित)

और मैन्टल ठोस अवस्था में

Core

outer core → liquid state

inner core → solid state

Fe & Ni की अधिकता

पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के अध्ययन में भूकंपीय तरंगों की भूमिका

छिन्नी
पदार्थ का
पिघलना
(Melting)
pressure
&
temp
पर
निर्भर

पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के बारे में P तथा S तरंगों के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि ये तरंगे पृथ्वी के आन्तरिक भाग से होकर गुजरने में सक्षम हैं। 33 km की गहराई पर भूकंपीय तरंगों के वेग में तेजी से वृद्धि होती है। 100 से 800 km की गहराई के बीच भूकंपीय तरंगों की गति मंद हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 100 से 800 km के बीच की परत आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है। इस परत को दुर्बलमंडल के नाम से जाना जाता है। 800 km की गहराई के पश्चात् भूकंपीय तरंगों के वेग में पुनः वृद्धि होती है। 8900 km की गहराई पर S तरंगे विलुप्त / अपवर्तित हो जाती है जबकि P तरंगों का वेग अचानक काफी कम हो जाता है, वेग में यह कमी 5150 km तक होती है इससे यह पता चलता है कि बाहरी कोर द्रव अवस्था में है। 5150 km के पश्चात् P तरंगों के वेग में पुनः वृद्धि होती है इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि आन्तरिक कोर ठोस अवस्था में है।

0 - 100 km की परत स्थलमण्डल (lithosphere)

↓
Crust + upper mantle का सबसे ऊपरी परत

भू-युग्मकत्व (Geo-Magnetism)

N.P. 90° N

S.P. 68° S 143° E

पृथ्वी की
magnetic field

friction के कारण
ionization
उससे
electricity generate

Temp difference

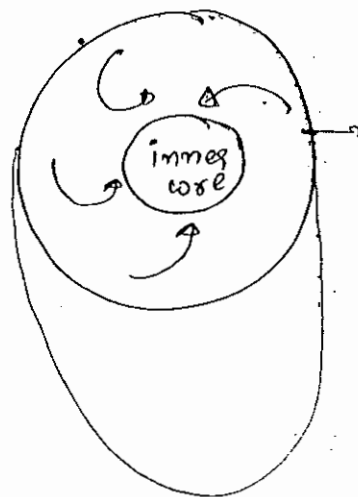
↓
संवहन द्वारा

↓
ionization

↓
Electricity current

↓
magnetic field

घूर्णन से
की friction
generate



outer core.

भू-युग्मकत्व परिवर्तनशील

↓
कभी संवहन धाराएँ
ज्यादा तीव्र कभी मंद
electricity generate
↓
युग्मकत्व ज्यादा युग्मकत्व कम

Magnetic pole

South pole convert into

↓ North pole

कारण → संवहन धाराओं की दिशा उलट जाती है।

भू-युग्मकत्व का तात्पर्य पृथ्वी के चुम्बकीय गुण से है। पृथ्वी एक बड़ा चुम्बक (Bar magnet) की तरह व्यवहार करती है जिसका उत्तरी ध्रुव कनाडा के प्रिंस ऑफ वेल्स (90° N, 100° W) तथा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के माकलय विकटोरिया लैण्ड (68° S, 143° E) पर स्थित है।

पृथ्वी के चुम्बकत्व के लिए यांत्रिक

प्रक्रिया (Mechanical process) को उत्तरदायी माना जाता है। पृथ्वी का आंतरिक कोर दोस्र अवस्था में है जबकि बाहरी कोर की चट्टानें द्रव अवस्था में हैं। तापमान में अंतर के कारण बाहरी कोर में संवहन धाराएँ प्रवाहित होती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति तथा संवहन धाराओं के कारण बाहरी कोर में आयनों (ions) का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दोस्र कोर के चारों ओर विद्युत धारा के प्रवाह के कारण पृथ्वी में चुम्बकत्व का गुण उत्पन्न होता है।

चुम्बकीय दिकपात (Magnetic declination) / dip

भौगोलिक उत्तर - दक्षिण / भौगोलिक ध्रुव तथा चुम्बकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण चुम्बकीय दिकपात कहलाता है।

९. पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में श्रुद्धिमान तरंगों की भूमिका पर प्रकाश डालें। (180 W)

१०. नवीनतम अध्ययनों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त विवरण

संक्षिप्त टिप्पणी (S.M) (50 W)

- भूपर्पटी • कोर
- मैनटल • अ-चुम्बकत्व

- Q. एम असंबद्धता • रेवेटी
- गुटेनबर्ग असंबद्धता • लेहमान असंबद्धता
- कोनार्ड असंबद्धता
- डुर्बल मंडल

Additional syllabus

- भूमि सुधार
- Agriculture pattern
- Irrigation
- विश्व में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भौगोलिक लक्षण एवं उनका स्थान
- ओषधी
- महत्वपूर्ण भौगोलिक लक्षणों में परिवर्तन
- कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय एवं बाधाएँ
- छिपानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी
- विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक
- आपदा प्रबंधन

महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत

08

महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत (Continental Drift Theory)

वैगनर -

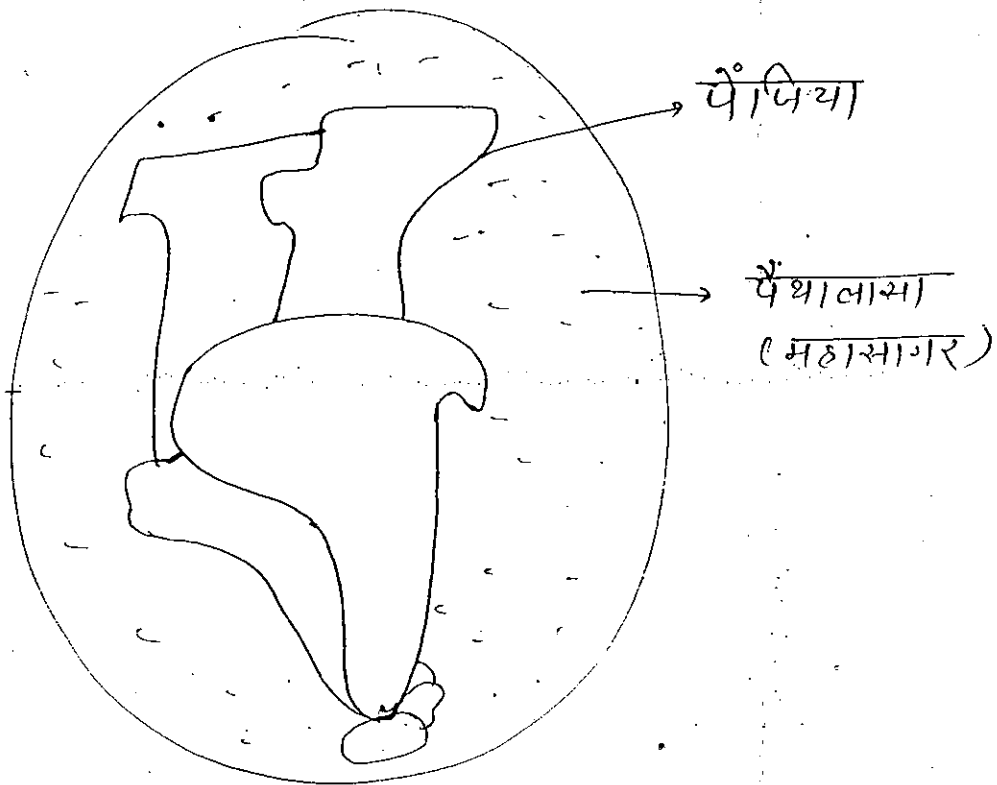
1912

कार्वेनिंगेन

युग में

सभी महाद्वीप

जुड़े थे



महाद्वीपीय भूपटल, महासागरीय भूपटल पर तैर रहा

था। इसी युग में पैंगिया का विखण्डन उत्तरी

महाद्वीप अंगारालैंड / लारेंजिया तथा दक्षिणी महाद्वीप

गौडवानालैंड में विभाजित हुआ। India, Australia और दक्षिणी

दो प्रकार की शक्ति → एक repulsion (प्रतिकर्षण) शक्ति

→ दूसरी सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति

① Jang-saw-fit (साम्य स्थापन)

② खंडानों की संरचना तथा उनमें पाये जाने वाले जीवाश्मों से संबंधित

③ पुरा - जलवायु (Paleo-climatic)

④ प्लैमर निक्षेप → हिमानी निक्षेप

जब नदी के चट्टान को काटकर खनिज को किसी क्षेत्र पर परत दर परत निक्षेपित करती है।

⑤ कोयले का निर्माण रूस में ० कोरल रीफ
→ वनस्पतियों से

⑥ पुष्यासुम्बकत्व → प्राचीन काल की चट्टानों में
माँझू के सुम्बकत्व का गुण

वेगनर के सिद्धांत में कमी

1. SIAL SIMA के ऊपर नहीं तैर रहा बल्कि दोनों ही दुर्बलमंडल पर तैर रहे हैं।
2. सिर्फ विषुवत रेखा के उभार के कारण महाद्वीप उसी ओर आकर्षित नहीं हो सकते
3. ज्वारीय शक्तियों से विस्थापन नहीं
कम के लिए 10 अरब गुना अधिक आकर्षण
की आवश्यकता
4. SIAL, SIMA में अवरोध करके पर्वतों का निर्माण नहीं कर सकते (Rocky Mountain)

Suggestion { वेगनर के अनुसार केवल महाद्वीपों का विस्थापन
जबकि विस्थापन प्लेटों का हो रहा है जिससे
महाद्वीपों तथा महासागरों दोनों का विस्थापन
प्लेटों की दिशा-का निर्धारण संवहन धाराओं से

महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन वेगनर द्वारा 1912 ई० में किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। पैंजिया चारों ओर से पैंथालासा नामक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। इसी काल में पैंजिया का विखंडन हुआ, उत्तर में अंगारालैंड तथा दक्षिण में गोडवाडालैंड के रूप में। अंगारालैंड पुनः उत्तर अमेरिका तथा यूरोशिया (भारत को छोड़कर) में पुनः विखण्डित हुआ। गोडवाडा लैंड का विखंडन दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका के रूप में हुआ।

वेगनर का विचार है कि SIAL से निर्मित महाद्वीप सीमा से निर्मित महासागर पर फैले रहे हैं थे इन फैले हुए महाद्वीपों पर दो भिन्न प्रकार की शक्तियों ने दो भिन्न दिशाओं में कार्य किया जिसके फलस्वरूप महाद्वीपों का दो भिन्न दिशाओं में विस्थापन हुआ। विषुवतरेखीय क्षेत्र में पृथ्वी के ठंडा होने के कारण अफ्रीका एवं भारत व यूरोशिया का विषुवत रेखा की ओर स्थानान्तरण हुआ। अफ्रीका एवं भारत के उत्तर-की ओर स्थानान्तरित होने के कारण हिन्द महासागर का निर्माण हुआ तथा अफ्रीका एवं भारत के यूरोशिया से टकराने के कारण आल्प्स - हिमालय पर्वत

शृंखला की उत्पत्ति हुई। उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका का विस्थापन पश्चिम की ओर सूर्य एवं चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति / ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ। इन महाद्वीपों के पश्चिम की ओर स्थानान्तरण के फलस्वरूप अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर सीमा द्वारा ज्वारीय उत्पन्न ठिये जाने के कारण शॉली एवं एण्डीज पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई। अतः स्पष्ट

अतः स्पष्ट है कि वैगनर ने अपने सिद्धांत के द्वारा न केवल महाद्वीपों एवं महासागरों के वर्तमान वितरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है बल्कि ^(fold) मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की भी व्याख्या की है।

वैगनर के सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण

(1) अटलांटिक महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों में पाई जाने वाली सममिता (symmetry) जिसे गुंग-साव-सिन / साम्य विस्थापन कहा जाता है।

(2) ब्राजील एवं अफ्रीका की चट्टानों तथा इनमें पाये जाने वाले जीवाश्मों में समरूपता

(3) ब्राजील, अफ्रीका, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया में पाये जाने वाले टिलाइट निक्षेप (हिमानी द्वारा निक्षेपित पदार्थ)

<4> घाना में मूलभूत स्वर्ण युक्त चट्टानों के
 अभाव के बावजूद सोने का प्लेसर निक्षेप
 (Placer)
 तथा मूलभूत चट्टानों का ब्राजील में पाया
 जाना।

<5> अनेक क्षेत्रों के प्राचीन काल की चट्टानों
 में मौजूद पुरासुम्बकत्व।

(Paleo-magnetism) पुरासुम्बकत्व :- इसका तात्पर्य प्राचीन काल
 की चट्टानों में मौजूद सुम्बकत्व
 के गुण से है जब कहीं ज्वालामुखी उद्गार
 होत हैं तो लावा द्वारा न्यूनी तापमान को
 प्राप्त करते ही तत्कालिक ^($\approx 500^{\circ}\text{C}$) सुम्बकीय ध्रुव के
 अनुरूप चट्टानों में सुम्बकत्व की दिशा रिकॉर्ड
 हो जाती है।

मालीयना / कमियाँ :-

<1> वैगनर का यह मत कि महाद्वीप (GIAL)
 महासागर (सीमा) पर तैर रहे हैं सही नहीं
 है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से यह पता
 चलता है कि स्थलमण्डल दुर्बलमंडल पर तैर
 रहा है तथा महाद्वीप एवं महासागर दोनों ही
 स्थलमण्डल के भाग हैं।

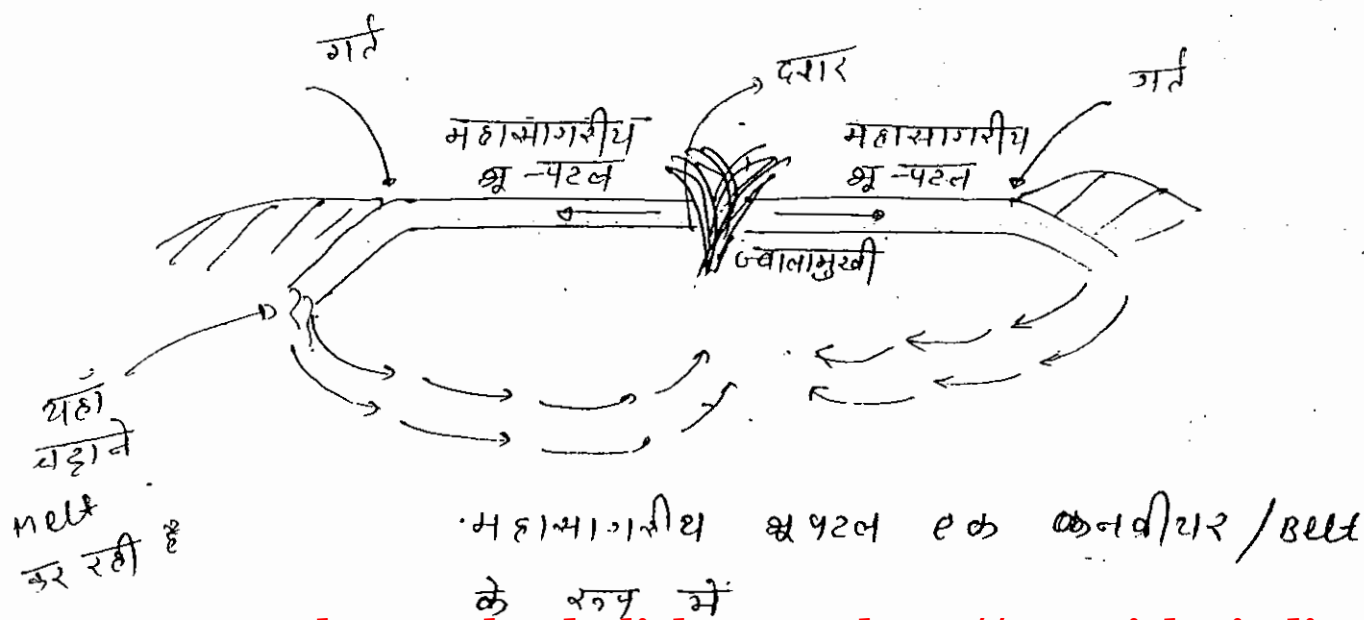
<2> महाद्वीपों के विस्थापन के लिए वैगनर
 ने जिन बलों को उत्तरदायी माना है वे
 काल्पनिक प्रतीत होती हैं अर्थात् विद्युत्तीय
 क्षेत्र में उभार के कारण महाद्वीपों का

विषुवत रेखा की ओर तथा सूर्य एवं चन्द्रमा की प्वासीय शक्ति के कारण पश्चिम की ओर विस्थापन संभव नहीं है।

वस्तुतः महाद्वीपों का विस्थापन मरीच में भी हुआ है तथा यह वर्तमान में भी जारी है परन्तु यह विस्थापन उच्च रूप में तथा उच्च बल के कारण नहीं हुआ है जिसकी कल्पना वैगनर ने की है। वास्तविकता यह है कि स्थलमंडल अनेक टुकड़ों में बँटा हुआ है जिन्हें प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट उर्वलमंडल पर तैर रहे हैं महाद्वीप एवं महासागर दोनों ही प्लेट के भाग हैं। अतः महाद्वीपों के साथ-साथ महासागरों का भी विस्थापन हो रहा है।

समुद्री नितल का प्रसार (sea-floor spreading)

by हेरी हेस



एक तरह महासागरीय श्रृपटल का विनाश।
इसरी तरह उनका निर्माण।

समुद्री नितल प्रसार सिद्धांत का प्रतिपादन
हेरी हेस द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के
अनुसार महासागरीय के मध्य में दरार मौजूद है।
दरार के दोनों ओर के श्रृखण्ड एक-दूसरे
से दूर हट रहे हैं। इसके फलस्वरूप दरार
से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। आगे बढ़ता
हुआ श्रृखण्ड (महासागरीय) महाद्वीपों के नीचे
प्रविष्ट (प्रवेष्ट) हो जाता है तथा उच्च तापमान
के कारण पिघल जाता है। इस प्रकार महासागरीय
श्रृपटल एक कन्वेयर बेल्ट की तरह गतिशील है
जिसके फलस्वरूप एक ओर महाद्वीप महासागरीय
श्रृपटल का निर्माण हो रहा है तो इसरी ओर
विनाश। महासागरीय क्रस्ट की नवीनता मध्य
महासागरीय कटक से बढ़ती इसी के साथ
पहाड़ों की श्रृंखला में वृद्धि, कटक में मौजूद
पहाड़ की पट्टियों में युग्मकत्व ही विश्व में
उत्क्रमण सादि इसके हेस के सिद्धांत का
समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट
टिक्टनिकी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण आधार
माना जाता है।

(my years)
76 my में
192 times
आर उत्क्रमण

Ques 1. महात्मीयों के विस्थापन के संबंध में क्षयना
विचार व्यक्त कीजिए (150 words)

2. महात्मीय विस्थापन सिद्धांत का क्षालोचनात्मक
मूल्यांकन कीजिए
3. महात्मीय विस्थापन सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण
कीजिए

संक्षिप्त टिप्पणी (150 words)

1. महात्मीय विस्थापन सिद्धांत
2. समुद्री नितल का प्रसार
3. पुरा युग्मकत्व

Date
17/7/13

imp.

भूमि सुधार (Land Reform)

- भूमि सुधार का अर्थ
- भूमि सुधार की आवश्यकता / लाभ
- भूमि सुधार के उद्देश्य
- भूमि सुधार कार्यक्रम
- कार्यक्रम का मूल्यांकन
- सीमित सफलता का कारण

अर्थ

- खेतों के आकार में सुधार
 - भू-धारण (Land Right)
 - पट्टेदारी
 - लगान आदि में सुधार
 - भूमि के वितरण में सुधार
 - भू-राजस्व प्रणाली में सुधार
- संबंधित कारकों से
1. संरचनात्मक कारक - सिंचाई, अधिक ऊपजा देने वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक क्रम, कृषि, भंडारण, विपणन (Marketing)

2. संस्थागत कारक (institutional factors) - जोत का आकार एवं भू-धारण से संबंधित मुद्दे
- (सुधार) (सुधार)
- संरचनात्मक कारक, संस्थागत कारकों के बिना नहीं हो सकते

छोटी जोत → आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी

- संरचनात्मक सुधार उस स्थिति में ही संभव जब संस्थागत सुधार हो पायेंगे

पि गहनता (Intensity) छाँटी जोत अलाभकारी उनमें संरचनात्मक सुविधाओं का विकास कठिन होता है - जिसका प्रभाव कृषि कल कृषि क्षेत्र की गहनता तथा उत्पादकता पर पड़ता है।
 $\text{गुड कृषि क्षेत्र} \times 100(\%)$ (मशीनीकरण नहीं हो पाएगा)

गर्दि एक वर्ष समय ही बचत नहीं

एक फसल

AI = 100%

संस्थागत सुधार

गर्दि एक वर्ष

दो फसल

AI = 200%

- जीवन निर्वाह कृषि के स्थान पर वाणिज्यिक कृषि

लापकटा

- खाद्य सुरक्षा

से हेक्टेयर

उत्पादन से

- कृषि प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए

भूमि का वितरण

भूमि

भूमिहीन

- 1950 में जोत का औसत आकार 3 ha था जो वर्तमान में मात्र 1.2 ha है।

- 1950 में जोतों की कुल संख्या 50 million थी वर्तमान समय में 120 mn

- ये जोत काफी बिखरे हुए हैं

- कुल खेलों की संख्या का 98% छोटा / सीमांत जोत है जो आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी। इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है।

• छोटी ज़ोत / खेत के कारण कुल कृषि भूमि का २१% भाग मेड़ के रूप में है।

• खेतों का छोटा आकार कृषि के मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण में बाधक है।

• कृषि भूमि के वितरण में विषमता

कुल कृषि भूमि के ३७% भाग पर मात्र १०% परिवारों का अधिकार है जबकि ५४% परिवारों के पास ११% से भी कम कृषि भूमि है।

• भारत में २०% कृषि भूमि पर पट्टेदारी / बटारिदारी (share cropping) के माध्यम से कृषि हो जाती है।

बटारिदारी को बेदखल का अर्थ

५

कृषि में संरचनात्मक सुधार नहीं

इन समस्याओं को दूर करने के लिए भूमि सुधार आवश्यक

भूमि सुधार के उद्देश्य

१. कृषि की गठनता एवं उत्पादकता में वृद्धि लाना

२. सामाजिक - आर्थिक न्याय की स्थापना करना

अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वयी तथा सतत विकास करना

3) चकबंदी

• छोटे एवं बिखरे हुए खेतों को एक ही स्थान पर बड़े खेत / चक का रूप देना

• वर्तमान समय में लगभग 45% कृषि भूमि में चकबंदी की जा चुकी है। उत्तर पश्चिम भारत (PB, Haryana, UP) में चकबंदी से संबंधित कार्यक्रम सफल रहे हैं। पूर्वी भारत के (आरखंड, बिहार, उड़ीसा) में इसे सीमित सफलता मिली है।

• चकबंदी अधिकारियों के पास तकनीकी ज्ञान की कमी, भ्रष्टाचार, किसानों की अधिकूल मानसिकता जैसे कारक चकबंदी कार्यक्रम की सफलता में बाधा साबित हुए।

4) भूमि हदबंदी

• इसके अन्तर्गत प्राप्ति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। कनेक राज्यों में सामान्यतः दो फसली सिंचित भूमि के लिए 10-15 एकड़, एक फसली सिंचित भूमि के लिए 27 एकड़ तथा असिंचित भूमि के लिए 54 एकड़ की सीमा निर्धारित की गई।

• बागांनी भूमि को ट्रस्ट की भूमि को (न्यास) भूमि हदबंदी कानून से बाहर रखा गया

• लगभग 32 लाख हेक्टेयर भूमि भूस्वामियों से वापस ली गई तथा इसे भूमिहीनों में वितरित किया गया जो कि अनुमानित

अतिरिक्त श्रमि से काफी कम था।

- श्रमिकों द्वारा कानून में दिए गए छूट का दुरुपयोग किया गया अनेक क्षेत्रों में श्रमिकों द्वारा लाभार्थियों को आवंटित की गई श्रमि पर कब्जा करने से रोका गया जिसके कारण शान्तिन क्षेत्रों में तनाव उत्पन्न हुआ।

5) सहकारी कृषि (co-operative farming)

- भारत जैसे देश के लिए जहाँ छोटे एवं सीमांत किसानों की अधिकता है सहकारी कृषि काफी लाभकारी साबित हो सकती है। क्योंकि इसके माध्यम से छोटे एवं बिखरे खेतों से संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सकता है तथा सामूहिक प्रयास के द्वारा छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि का अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

- परन्तु भारत में सहकारी कृषि को सतत सीमित सफलता मिली। वर्तमान समय में मात्र 0.5% कृषि श्रमि पर ही सहकारी कृषि की जाती है। दक्षिण भारत के राज्यों में ही यह अपेक्षाकृत सफल रहा है।

- प्रबंधन से संबंधित समस्याएँ, अष्टाचार आदि के कारण सहकारी कृषि लगभग असफल रही है।

6) ऑकड़ों का अद्यतन एवं कम्प्यूटीकरण

National Land Record Modernization Program

इस कार्यक्रम को प्राथमिकता के साथ चलाया जा रहा है तथा 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) प्रारंभ किया गया है।

भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों की सीमित सफलता के कारण :-

- <1> काश्तकारों एवं बंटाईदारों में संगठन का अभाव
- <2> ग्रामीण सामाजिक - आर्थिक व्यवस्था पर भू-स्वामियों का नियंत्रण तथा भू-स्वामियों की राजनीतिक - प्रशासनिक पहुँच
- <3> राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी
- <4> प्रशासनिक उदासीनता एवं अन्याय
- <5> भूमि सुधार से संबंधित कानूनों में कमियाँ

भूमि सुधार कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि भूमि सुधार से संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की अलग कैडर की व्यवस्था की जाये तथा भूमि सुधार हेतु पंचायती राज व्यवस्थाओं का सहयोग लिया जाए।

Ques 1 'भारत में कृषि के विकास एवं माधुनिकीकरण हेतु क्षमि सुधार आवश्यक है' इस कथन पर अपना विचार व्यक्त करें (200 words)

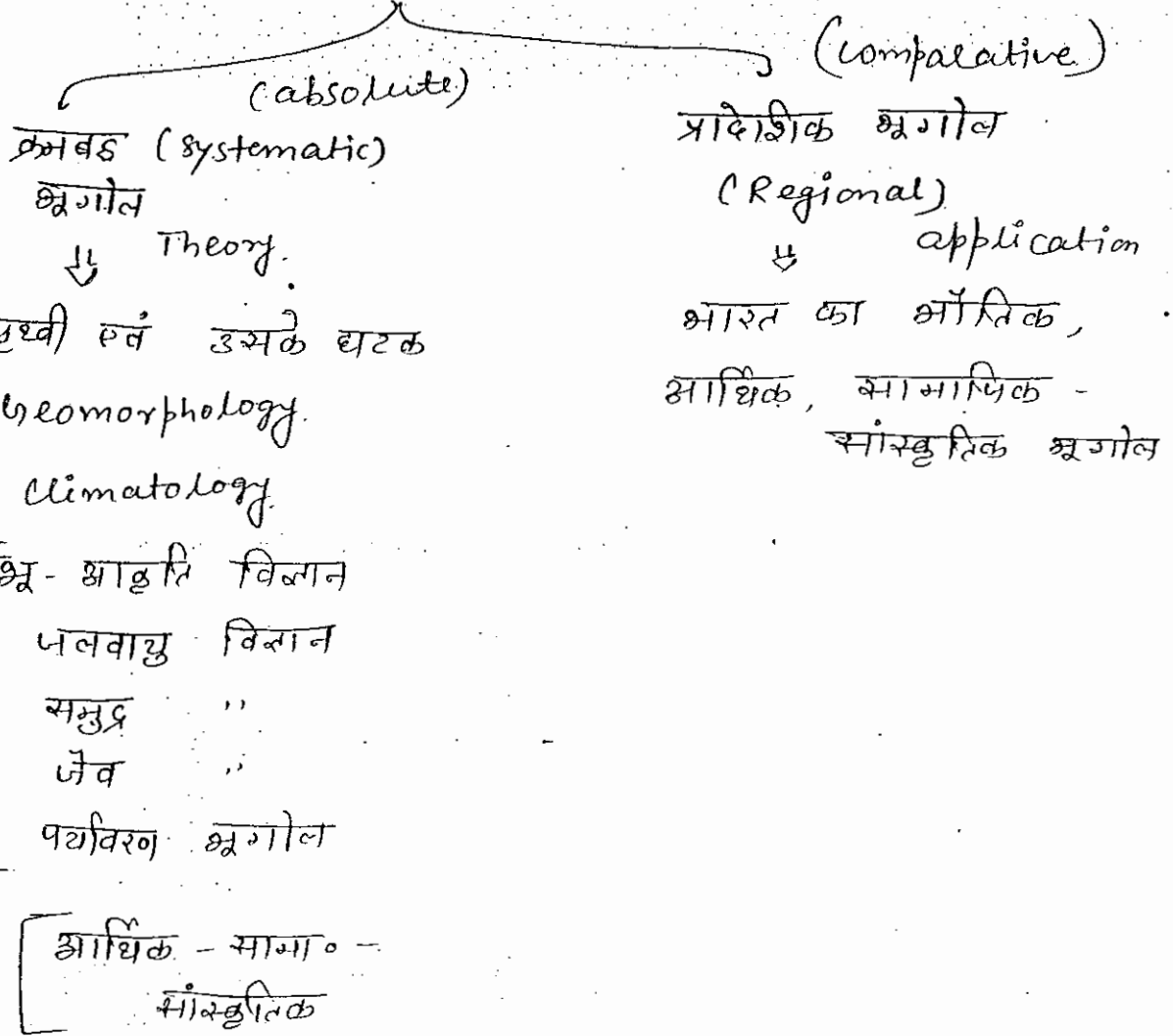
2. भारत में क्षमि सुधार कार्यक्रम की सफलताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
3. भारत में क्षमि सुधार कार्यक्रमों के बारे में बताएं तथा इन कार्यक्रमों की सफलता में बाधक तत्वों की पहचान करें।

22/11/18

by

S. Anjan
Srivastav

भूगोल



old syllabus

- भारत का भूगोल (प्रादेशिक भूगोल)
- राज्य स्तरीय तुलना
- now विश्व स्तर पर भारत से तुलना
- systematic
- पूर्वावलोकन

new syllabus

- क्रमबद्ध
- प्रादेशिक
- ① विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएँ
- भौतिक भूगोल के घटक
- भूकंप, सुनामी,
- भारत का भूगोल
- ⇒ भारत + दक्षिण एशिया के संसाधनों का वितरण

भौतिक

आदि जैसे महत्वपूर्ण
भू-भौतिक घटनाएँ

⇒ भौगोलिक घटनाएँ,
विशेषताएँ एवं उनके
स्थान

Systematic
+
Regional

⇒ विश्व के जलस्रोत,
हिमस्रोत, वनीयस्रोत
एवं जैविक स्रोत
(संसाधन)

(मानवीय गतिविधियों
के कारण इन संसाधनों
पर क्या प्रभाव पड़ा है?)
(परिवर्तन)

⇒ भारत एवं विश्व का
प्राकृतिक, आर्थिक, सामान्य
भूगोल

❶ मानव भूगोल

→ जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे

भारत → कृषि → भारत में फसलों का पैटर्न
Regional → बुनियादी ढांचा
परिवहन, संचार, व्यापार

→ भू-सुधार

⇒ विश्व का संसाधन वितरण

उद्योग का स्थानीयकरण

प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक

Ecology

III paper

① पर्यावरण +
पारिस्थितिकी : अवधारणा

जैवविविधता : अवधारणा

↓
समस्याएँ → जलवायु
↓ परिवर्तन

② समस्याएँ -
प्रदूषण, सरण,
प्रभाव आकलन,
संरक्षण

③ आपदा प्रबंधन
- भारत

Resource → पिका & काली

English → लियोग & मार्गन

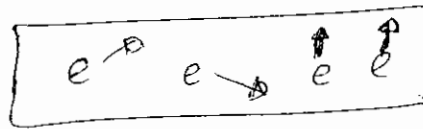
Economic & social geography of

6, 7, 8 NCERT
(old)

world

12th → भूगोल (new NCERT) बुनियादी ढांचा
11th → Economics

without
electricity



घर्षण से
चुम्बकीय क्षेत्र
का निर्माण

↓
electron
direction
are random

magnetic field of earth →

(क्षांची)
सौर तूफान से
रक्षा करता है

सौर क्षादियों से संवार
प्रभावित

Gate
28/7/13

६. भारत में सिंचाई जल प्रबंधन की दिशा में छिए गए सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए

७. वृहद् सिंचाई परियोजना की समता के निम्न उपयोग के लिए इतरकारी कारकों की पहचान कीजिए

८. सिंचाई जल प्रबंधन का विद्यमान होना भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता एवं निम्न गहनता के लिए इतरकारी है, स्पष्ट करें।

९. भारत में सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए तथा उनके लाभ - हानि बताइए

१०. ट्रिप सिंचाई (Drip) क्या है? इसे सिंचाई का सर्वाधिक बेहतर तकनीक क्यों माना जाता है?

११. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दृष्टि से वृहद् परियोजनाओं की धारणीयता पर अपना विचार व्यक्त कीजिए

१२. भारत में सिंचाई जल प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर चर्चा कीजिए

९. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (Micro Irrigation)

क्या है? इसके क्या लाभ हैं?

९. भारत में सिंचाई जल के बेहतर प्रबंधन हेतु सुझाव दीजिए

९. कमांड क्षेत्र कार्यक्रम क्या है? इसके मुख्य (Command)

घटकों का उल्लेख कीजिए

९. नदी जोड़ों परियोजना क्या है? इसके सम्भावित लाभ तथा परियोजना में बाधक तत्वों पर चर्चा कीजिए

९. लघु मध्यम एवं बृहत् सिंचाई परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं?

भारत में
सिंचाई

सिंचाई

की आवश्यकता

आवश्यकता क्यों?

५

कारण -
जलवायु

1. मानसून की अनिश्चितता के
2. मानसून की अनियमितता
→ मानसून देर से
मानसून निवर्तन पहले

कभी वर्षा
ज्यादा
कभी कम

In India 50% area - < 75 cm Rainfall

3. मानसूनी वर्षा की विषमता

वितरण में स्थानिक एवं कालिक विषमता
स्थानों पर
वर्षा का
वितरण असमान
↓
कभी वर्षा
आधिक
कभी कम

कुछ कसलों के लिए अधिक मात्रा में जल की
आवश्यकता अधिक

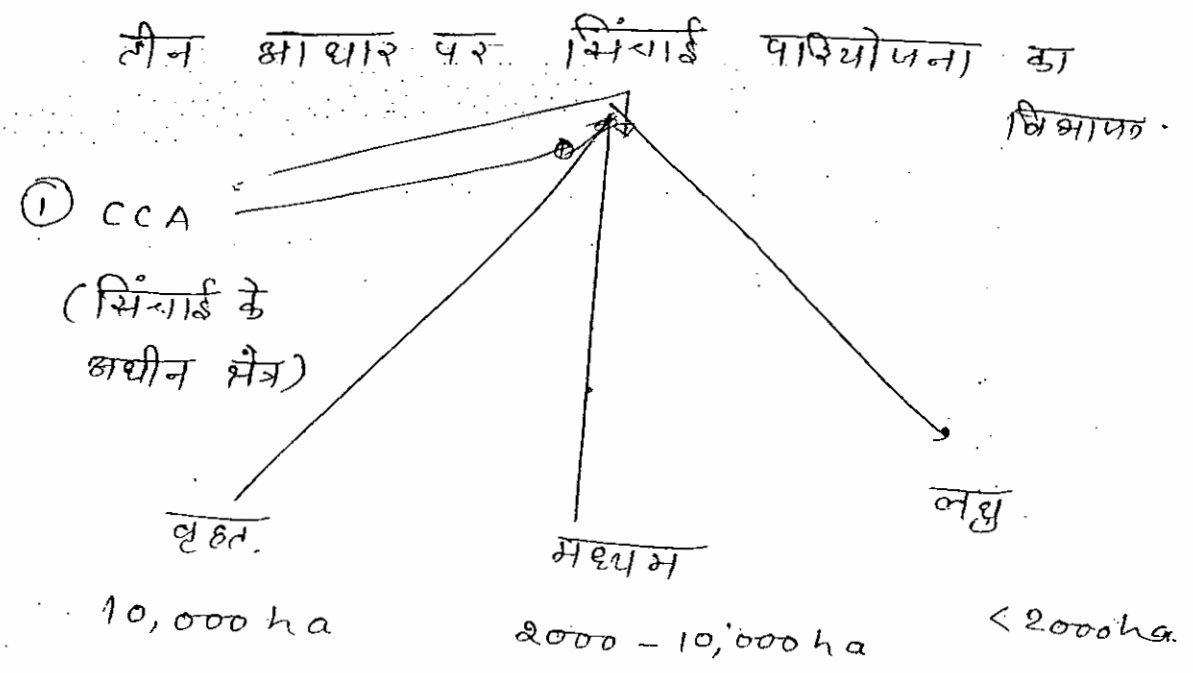
Cropping pattern → किस क्षेत्र में कितने
क्षेत्रफल पर किस कृषि की
(कसत)
खेती की जाती है

खेती जोखिमपूर्ण ∴ किसान Modern Agri-
Inputs का use
नहीं करता
eg. Hybrid seed,
Fertilizer

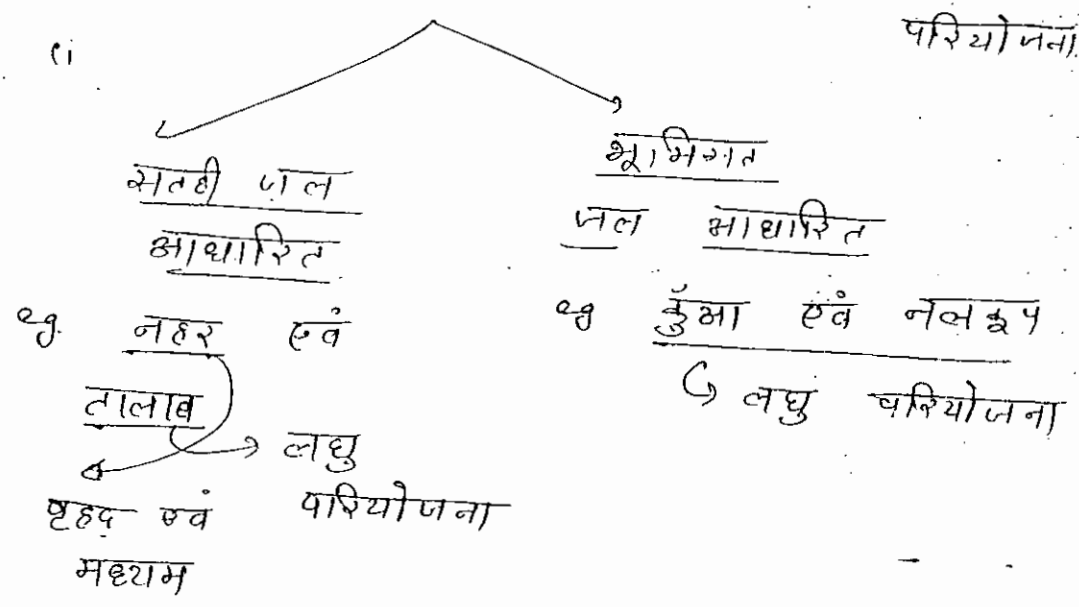
वर्तमान में भारत के कुछ कृषि क्षेत्रों में

45% क्षेत्र पर सिंचाई

कृषि
राज्य विषय
सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा



② जल स्रोत के आधार पर 2 सिंचाई परियोजना



1951 → नहर से सिंचाई 40%
वर्तमान → " " 26%

सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ा है
कैप्टिन अनुपात कम हो गया है।

९. क्या कारण है कि ^{विशाल} बृहद् एवं मध्यम परियोजनाएँ (नहर) से लघु सी ओर इन्मुख हो रही है?

समस्याएँ

1. नहर परियोजनाओं का रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं
2. Reservoir में silt की मात्रा बढ़ रही है
3. कच्ची नहरों में जल का रिसाव
4. Revenue collection inefficient
5. ^{गुणवत्ता} गैरसह्य period बहुत ज्यादा
guarantee.

क्यों नहरों की समस्या का बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं?

• पर्यावरण के प्रतिकूल

need a large area

80. बृहद् क्षेत्रों में पैमाने पर वनों की कटाई

• Tectonic

↓

• Folding

• &

• faulting

• dam के कारण उस स्थान पर धूप की संभावना बढ़ जाती है

• इन्दिरा गांधी नहर में रिसाव के कारण मलेरिया

• मल्लीय मिट्टी

↓

• यूनै

• सी मात्रा

• कम

का प्रकोप बढ़ गया है।

• over irrigation →

मिट्टी की लवणता व भारीयता

सिंचाई

Rainfall
कम
है
वर्षा

ही variability
है
प्यास
सिंचाई की
आवश्यकता
क्यों ?

भारत में कृषि के विकास के लिए सिंचाई
साधनों का विकास अति आवश्यक है क्योंकि
भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है
मानसूनी वर्षा अनियमित होती है अर्थात्
वर्षा की परिवर्तिता (variability) (वर्षा की
मात्रा में उतार-चढ़ाव) अधिक होती है।
मानसून अनियमित होता है। मानसूनी वर्षा
में कभी-कभी लम्बा अंतराल करायम हो
जाता है, वर्षा की अवधि मात्र 4 महीने
तक सीमित होती है। भारत का को-ट्रिहार्ड
क्षेत्र अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र है। अतः वर्षा
के स्थानिक एवं कालिक विषमता को देखते
हुए सिंचाई साधनों का विकास आवश्यक
हो जाता है। भारत में उत्पादकता एवं गहनता
काफी निम्न है। अतः कृषि की उत्पादकता एवं
गहनता को बढ़ाने के लिए तथा फसल प्रतिक्रम
में सुधार लाने के लिए सिंचाई का विकास
आवश्यक है। सिंचाई के अभाव में कृषि
गौरवमयपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप बन जाती है
अतः किसान हाइब्रिड बीड Hybrid seed (आधिक
उत्पाद देने वाले) ध्वस्त, कीटनाशक का उपयोग
नहीं कर पाता। सिंचाई सुविधा उपलब्ध

हॉने पर आधुनिक कृषि आगमों (inputs) का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होता है जिसके फलस्वरूप उत्पादन में अनिश्चितता ख़ाती है।

उपरोक्त कारणों से भारत में स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही सिंचाई आधनों के विकास पर बल दिया गया। सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। इसका परिणाम यह है कि भारत में सिंचित क्षेत्र 1951 की तुलना में 4 गुना हो चुका है। वर्तमान समय में भारत के कुल कृषि भूमि के लगभग 45% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है।

सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार / वर्गीकरण

परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र के आधार पर

सिंचाई परियोजनाओं को निम्नालिखित तीन

प्रकारों में विभाजित किया गया है -

(i) बृहत परियोजना - सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल 10,000 - हेक्टेयर से अधिक

(ii) मध्यम सिंचाई परियोजना - सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2000 - 10,000 ha

(iii) लघु परियोजना - सिंचित क्षेत्र का सैकफल
२००० ha से कम

जल के स्रोत के आधार पर - इस आधार पर सिंचाई परियोजनाओं को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है -

- (i) सतही. जल आधारित परियोजना
- (ii) भूमिगत जल आधारित परियोजना

सतही जल आधारित परियोजना के अन्तर्गत नहर एवं तालाब सिंचित क्षेत्र आते हैं नहर सिंचित क्षेत्र से संबंधित परियोजनाएँ बृहत् या मध्यम हो सकती हैं। 1950-51 में कुल ^{सिंचित} कृषि क्षेत्र के 40% भाग पर नहर द्वारा सिंचाई होती थी जो वर्तमान में 26% हो चुका है। नहर सिंचित क्षेत्र उत्तर के विशाल मैदान तथा महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी डेल्टा में विस्तृत है।

नहर सिंचाई के कारण (इन क्षेत्रों में ही क्यों?)

1. उत्तर भारत की नदियों का सहावाहिनी होना
2. समतल धरातल
3. अलुवन ढाल
4. मुलायम / कोमल संरचना
5. बृहत् / विस्तृत कृषि भूमि

भारत में बहुत परियोजनाओं की स्थिति काफी असंतोषजनक है। इनकी श्रमता का काफी कम उपयोग हो रहा है। जिसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं -

i) परियोजनाओं का रख-रखाव समुचित रूप से न होना - इसके लिए मुख्यतः वित्तीय काश्द समस्याएँ उत्तरदायी हैं क्योंकि भारत में सिंचाई कर काफी कम है तथा इसका संग्रहण अनुशूल है।

ii) पलाश्यों में गाद के जमा हो जाने के कारण उनकी श्रमता में कमी

iii) नहरों से जल के रिसाव के कारण जल की हानि

iv) नहर के निकट स्थित क्षेत्रों में अधिक सिंचाई (over-irrigation)

v) बहुत परियोजना को पूरा होने पर काफी लम्बा समय लगना जिसके लिए वित्तीय, तकनीकी प्रशासनिक, पर्यावरणीय, विस्थापन एवं पुनर्वास जैसे कारक उत्तरदायी हैं।

gestation period

बहुत सिंचाई परियोजनाएँ पर्यावरण

हवा पर्यावरणीय पर अनेक गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं जो निम्न हैं -

वनो का क्षय अर्थात् निर्वनीकरण

1) जैविक विविधता का क्षय

ii) वृहद क्षेत्र का जलमग्न हो जाना

iii) नहरों के आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव

iv) अति सिंचाई के कारण मृदा में मम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता में वृद्धि

v) जलाशय में बेहद मात्रा में जल एकत्रण के

कारण समास्थितिक संतुलन में बाधा प्रसिद्ध

फलस्वरूप भूकम्प का आना । 1967 में महाराष्ट्र

में कोयना भूकम्प के लिए कोयना जलाशय

(Reservoir) को इतरावयी माना जाता है।

DA

ii) Command Area Development Prog.

को

सिंच

को

को

196-97

कैसे अधिक से अधिक क्षेत्र को

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लाया जाये

• नहर पम्पी नालियों का निर्माण

• MFD seed, fertilizer की सुनिश्चित

आपूर्ति

• धरातल को समतल बनाना

जी

पि जनाओं

जे गरीब

रने 90% grant

10% loan

सरकार

ता

थ

गी है।

• long term loan (भूमिगत और सतही

जल का संयुक्त

• वृक्षारोपण कार्यक्रम

प्रयोग)

• short term & long term loan

वर्तमान में 350 CADP परियोजनाएँ चल रही हैं।

(स. रू. है 89% of total)

बाराबंकी

वृहत भिंवाई परियोजनाओं के बेहतर उपयोग

काड़ी-काड़ी

से सभी

क्षेत्रों को

जल उपलब्ध

कराना

के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किये गये हैं -

माधी - अछूरी / लंबित परियोजनाओं को शीघ्र

पूरा करने के लिए 1996-97 में A.I.B.P.

कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए

केन्द्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता

उपलब्ध कराती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत

पिछड़े-क्षेत्रों के लिए कुल सहायता राशि का 90%

अनुदान के रूप में होता है।

उपलब्ध भिंवाई - समता के अधिकतम

उपयोग के लिए 5 वीं पंचवर्षीय योजना में

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (CAWRP) प्रारंभ

किया गया है जिसके अंतर्गत निम्नालिखित

उपाय किए जा रहे हैं -

- i) भिंवाई के लिए पक्की नलियों का निर्माण
गडि बिमाव से होने वाली हानि को मोटा
जा सके। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर
क्षेत्र को समतल बनाना

- ii) जल के न्यायपूर्ण वितरण अर्थात् नहर
के अंतिम बिंदु तक जल की उपलब्ध

बाराबंकी
प्रणाली

कराने के लिए बाराबंकी प्रणाली लागू करना

iii) Hys (High yielding seed) इवरेक सीर-

Modern

Ag. inputs नाशक आदि साधुनिक कृषि सामग्री को उपलब्ध

करना ताकि सिंचाई पत्र का पूरा लाभ

खिसानों को मिल सके।

(iv) विद्युत, परिवहन, भंडारण, विपणन, ऋण

साधारभूत

सुविधाएँ बीमा आदि आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध

कराना

v) कृषि कार्य हेतु खिसानों को प्रशिक्षित

training

करना

vi) सही अरबी-जल तथा भूमिगत पत्र दोनों

का comprehensive (समाविष्ट) पत्र

vii) खिसानों को अव्यकालिक ^{ऋण} (बीज, - इवरेक डेड

आदि) तथा दीर्घकालिक ऋण (मशीन like

ट्रैक्टर etc हेतु)

viii) बजर भूमि का पुनः इस्तेमाल करना

वर्तमान समय में 33% परियोजनाएँ

चलाई जा रही हैं जिनके अन्तर्गत 29 million

ha. क्षेत्र आता है।

सिंचाई परियोजनाओं के बेहतर

रख-रखाव के लिए कृषक समितियों का

गठन किया गया है।

जल सिंचाई परियोजना

इनके अन्तर्गत कुंसा तथा नलदूप व तालाब आते हैं। 1966-67 के अकाल के पश्चात् कुंसा एवं नलदूप सिंचित क्षेत्र में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में ये (प्रगति) सिंचाई के 'सर्वाधिक महत्वपूर्ण' स्रोत हैं जिनसे द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र के 61% भाग पर सिंचाई की जाती है ये साधन कम खर्चीले हैं, कम समय में तैयार किये जा सकते हैं, कम स्थान घेरते हैं, इनका उपयोग सुविधाजनक होता है निजी क्षेत्र में होने के कारण इनका रखरखाव एवं प्रबंधन बेहतर तरीके से होता है। इनके विकास के लिए सरकार द्वारा ऋण एवं मासिड़ी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त कारणों से ये सिंचाई के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं।

इनका क्षेत्र - इतर का विभाग मेरान,
पूर्वी राजस्थान, गुजरात एवं
महाराष्ट्र

समस्याएँ

भूमिगत जल के क्षति उपयोग के कारण पंपाब एवं हरियाणा के कई क्षेत्रों में भूमिगत

जलस्तर में 1 m/year की दर से गिरावट
अविव्य में पैयजल बंकेट की छांशकां

- ii) अर्द्धशुष्क एवं शुष्क प्रदेशों में अभिगत जल
के खारे होने के कारण मृदा में लवणीयता
एवं भारीयता की समस्या।

Date
9/9/13

तालाब सिंचाई

वर्तमान समय में कुल सिंचित क्षेत्र के 8% भाग पर तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है -

- दक्षिण भारत का पहाड़ी क्षेत्र
- तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक
- पूर्वी भारत का पहाड़ी क्षेत्र
- उड़ीसा, पश्चिम बंगाल

विकास के कारण

- <1> विषम धरातल के कारण अनेक प्राकृतिक तालाब निर्मित
- <2> कठोर संरचना के कारण गाढ़ के जमाव तथा जल के रिसाव की समस्या नहीं।
- <3> भूमि का जलस्तर नीचा होना तथा कठोर संरचना के कारण कुआँ एवं नलकूप के विकास में कठिनाई।
- <4> मौसमी नदियों तथा कठोर संरचना के कारण नहर के निर्माण के लिए अनुपयुक्त।

लाभ

- <1> भूमिगत जल के पुर्नभरण में सहायक
- <2> पारिस्थितिकी दृष्टि से अनुकूल
- <3> अन्य कार्यों जैसे मत्स्य पालन तथा घरेलू उपयोग के लिए जल की प्राप्ति
- <4> तालाब के कारण मत्स्य का विकास। रोजगार के साधन के रूप में स्वच्छ जल की

मछली का आधिकांश भाग इन क्षेत्रों में प्राप्त होता है।

छात्र

(1) यह सिंचाई का विश्वसनीय - साधन नहीं।

Inter Basin Transfer

OR

Inter Linking of Rivers

(A) Inter connecting Rivers

भारत में जल संचालन के वितरण की दृष्टि से अत्यधिक विषमता पाई जाती है। उत्तर भारत की नदियों में जल की अधिकता के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है जबकि दक्षिण भारत एवं पश्चिम भारत की नदियों में जल की कमी के कारण इन क्षेत्रों में सूखे की आशंका होती है। इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए नदी - जोड़ो परियोजना का निर्माण किया गया है जिसका उद्देश्य जल की अधिकता वाली नदियों को जल की कमी वाली नदियों से जोड़ना है।

इस परियोजना से लाभ

<1> 36 मिलियन क्षेत्र में बिचौड़ी की सुविधा का विस्तार

<2> 34 mm Kwh विद्युत का उत्पादन

<3> बाढ़ नियंत्रण

<4> अनेक नगरों एवं गाँवों को पैयामन की माफ़ूति .

<5> मत्स्यन एवं नौ- परिवहन का विकास

समस्याएँ / बाधाएँ :-

<1> परियोजना - की लागत ₹ 5, 00, 000 रु. अनुमानित है जबकि व्यवहारिक रूप में इसकी 3-4 गुनी राशि का खर्च होगा।

<2> 15 लाख से अधिक जनसंख्या का विस्थापन

<3> विषम अवस्था के कारण जल को लिफ्ट कराने में बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता

<4> अन्तर्राष्ट्रीय नदी विवाद उत्पन्न होने की

आशंका - इसी आधार पर कर्नाटक & आंध्र प्रदेश

जैसे राज्यों ने परियोजना का विरोध किया है।

<5> भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्या

<6> नेपाल एवं भूटान से सहमति तथा सहयोग की आवश्यकता।

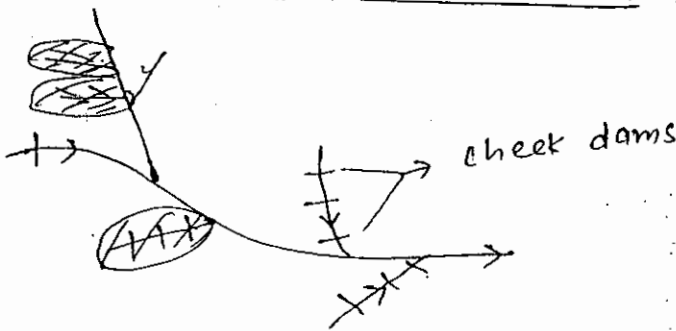
उपरोक्त बाधाओं के कारण ही परियोजना के विकास की गति अत्यंत मंद है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को

परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने का आदेश दिया है।

इस परियोजना के अन्दर कुल 30 सम्पर्कों की पहचान की गई है तथा कुछ सम्पर्कों के विकास की दिशा में कार्य जारी है जिनमें

- केन - बेतवा सम्पर्क
- पार्वती - काली सम्पर्क
- कुल्हा - गोदावरी सम्पर्क आदि प्रमुख हैं।

3) जल - विभाजक प्रबंध (watershed Management)



जल विभाजक का तात्पर्य छोटी नदी के बेसिन से है इसे भू-जल वैज्ञानिक इकाई (geo-hydrological unit) भी कहा जाता है।

→ जल विभाजक प्रबंध के अन्तर्गत सूक्ष्म स्तर पर नियोजन किया जाता है। यह नियोजन की प्राकृतिक इकाई है जिसमें जल विभाजक क्षेत्र में मृदा, जल एवं वातावरणीय तंत्र के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए नदियों में चैक - डेम का निर्माण, ढालवाँ भूमि में मैड - बंदी, भूमि को समतल बनाना, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम

→ जल विभाजक प्रबंधों के द्वारा बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण, भूमिगत जल का संरक्षण, कृषि एवं पशुपालन का विकास, पर्यावरण एवं वातावरणीय के संरक्षण में सहायता मिली है। अतः इसे अंतर विकास का एक मॉडल माना जा सकता है।

→ वर्तमान समय में सरकार द्वारा DDP, DPAP, JMDP जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जल-विभाजक प्रबंध के अन्तर्गत किया जा रहा है।

→ 'हरियाली' भी इसी परियोजना पर आधारित है।
→ यह कार्यक्रम राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत सफल रहा है।

भारत में सिंचाई से संबंधित समस्याएँ :-

<1> सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से प्रादेशिक विषमता -
उत्तर भारत में कुल कृषि भूमि के 60% से अधिक भाग पर सिंचाई जवाबि आयडीपीय पवार एवं पूर्वोत्तर भारत में 30% से भी कम भाग पर सिंचाई।

<2> अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों की समस्या

<3> वर्षा - जल संचयन तंत्र का विच्छेद होना
जिसके कारण वर्षा का अधिकांश जल बिना उपयोग के बर्बाद हो जाता है।

<4> वृहत् एवं मध्यम परियोजनाओं के पूरा होने में देरी जिसके कारण परियोजना

के खर्च में 1000% से भी ज्यादा बढ़ि हो जाती है।

<5> जलाशय में गाढ़-के कारण जल संग्रहण क्षमता में $\frac{1}{3}$ की कमी

<6> सारि सिंचाई तथा जल के बिभाव के कारण क्षमता का सल्प प्रयोग (जल क्षमता का लगभग $\approx 40\%$) । योजना आयोग के अनुसार अधिकांश सिंचाई प्रणालियों में 25-35% तथा कुछ अपवादस्वरूप मामलों में 40-45% क्षमता का प्रयोग हो रहा है। अतः सिंचित क्षेत्र का मात्र 40% भाग ही एक से अधिक बोया गया क्षेत्र है। (Multiple Cropping)

<7> कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इसे नियंत्रित करना सारि आवश्यक है।

<8> जल के प्राकृतिक अपवाह में बाधा तथा बिभाव के कारण जल-जमाव की समस्या (2.64 m head water locked area)

super irrigation <9> सारि सिंचाई के कारण लवणीयता एवं भारीयता (3.30 m head)

<10> प्रदूषित जल से सिंचाई के कारण मृदा एवं खाद्य पदार्थों का प्रदूषण

irrigation Tax <11> अत्यल्प सिंचाई कर तथा कर संग्रह की अकुशलता के कारण परियोजनाओं के

खर्च खर्च में समस्या

<12> नहर के अंतिम छोर तक पल का न
प्रदूषण पाना।

उपाय

- <1> वर्षा पल का संचय (सतही तथा भूमिगत पल) तथा पल अविभाजक प्रबंध जैसे कार्यक्रम काफी उपयोगी है।
- <2> पारिस्थितिकी के अनुरूप फसल प्रतिरूप / कृषि प्रतिरूप का चयन
- <3> सूक्ष्म सिंचाई तकनीक (जैसे - ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक)
- <4> सिंचाई प्रबंधन में कृषक समितियों की सहभागिता
- <5> अपवाह प्रणाली में सुधार ताकि पल जमाव जैसी समस्याओं को बौका जा सके।
- <6> पल प्रदूषण का नियंत्रण
- <7> Joint Linking of Rivers
- <8> सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास
- <9> पल प्रबंधन-हेड - कुओं को प्राथमिकता
- <10> सिंचाई कर को तर्कसंगत बनाना तथा इसका कुशलमूर्तक संग्रहण ताकि परियोजनाओं का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा सके।

सिंचाई प्रणाली / विधि / तकनीक

(1) परम्परागत विधि - Flood irrigation

यह सिंचाई की परम्परागत तकनीक है जिसमें जल की बर्बादी ज्यादा मात्रा में तथा इसकी क्षमता 30-40% होती है। वर्तमान में भारत के 95% से अधिक क्षेत्र पर इस विधि से सिंचाई की जाती है।

समस्याएँ

- पौधक पदार्थों की कमी (हॉर्मि)
- मृदा में जलजमाव, लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या
- फसलों की कम उत्पादकता
- मृदा अपरदन की समस्या

(2) स्प्रिंकलर सिंचाई / फव्वारा सिंचाई
(आधुनिक विधि)

इस विधि में पाइप द्वारा खेतों में जल पहुँचाया जाता है जिसमें फव्वारों के रूप में सिंचाई की जाती है। इस सिंचाई की क्षमता 50-60% होती है।

Flood सिंचाई की तुलना में इस विधि में 30% जल की बचत होती है। यह विधि अथवा फसलों (जैसे - दलहन, तिलहन, मोटे अनाज) के लिए उपयुक्त है।

<3> ड्रिप सिंचाई / टपक सिंचाई (आधुनिक विधि)

इस विधि में पाइप के माध्यम से छूँट-छूँट जल पौधों की जड़ों के पास टपकता रहता है। इसकी क्षमता 80% - 90% होती है तथा इसमें 1000 व सिंचाई की तुलना में 60% से भी अधिक जल की बचत होती है।

यह विधि बागवानी (Horticulture) तथा बागानी (plantation) } खादि फसलों के लिए उपयुक्त है। फल, फूल, सब्जी, चाय, कढ़वा, शहर मन्डाले

आधुनिक तकनीक के लाभ

<1> जल का कुशल एवं मितव्ययता पूर्ण सिंचाई क्षमता का अधिकतम-प्रयोग

<2> पोषक तत्वों का संरक्षण

<3> समुचित मात्रा में सिंचाई के कारण फसलों की उत्पादकता में वृद्धि

<4> पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दृष्टि से

अनुकूल अर्थात् जलप्रभाव, लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता की समस्या नहीं।

वर्तमान समय में भारत में 5% से भी कम क्षेत्र पर इस विधि द्वारा सिंचाई की जाती है तथा इसके प्रोत्साहन के लिए

सरकार द्वारा प्रदत्त एवं महसिली की व्यवस्था
की गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एवं
कर्नाटक जैसे राज्यों में ये अप्रैष्टाकृत अधिक
तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

Date
30/4/13

कसल प्रतिरूप / कृषि प्रतिरूप (Proposing pattern)

Questions

1. भारत में कसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों का मोटाहरण वर्णन करें
2. भारत में कसल प्रतिरूप में परिवर्तनों का व्योम कीजिए
3. उत्तर भारत में कसल प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण उत्पन्न समस्याओं का विवरण कीजिए
4. क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि "भारत में कसल प्रतिरूप पर मानाजिक आर्थिक कारकों की तुलना में भौगोलिक कारकों का प्रभाव अधिक है" स्पष्ट करें।
5. उत्तर के विशाल मैदान के कसल प्रतिरूप का विश्लेषण करें
6. ~~1 मई~~ वाक्य आधारित कसल प्रतिरूप तथा ~~मेरे~~ आधारित कसल प्रतिरूप में अंतर स्पष्ट कीजिए
7. कृषि गहनता (CI/A.I) क्या है? भारत में कृषि गहनता को बढ़ाने हेतु सुझाव दीजिए
8. टिप्पणी (50 words)

- (a) मिश्रित फसल (Mixed cropping)
- (b) मिश्रित कृषि (Mixed farming)
- (c) बहुकसली कृषि (Multiple cropping)
- (d) शास्त्रावर्तन / फसल चक्र (Crop rotation)

अनाज - चावल, गेहूँ, मीरे अनाज, मक्का (Cereals)

खाद्यान्न (Food grains) - अनाज + दलहन

- तिलहन, बागवानी और रेबोदार फसलें इन दोनों श्रेणी में नहीं आती हैं। ये सभी नकदी फसल के अन्तर आती हैं।
- बागवानी फसलों में फल, सब्जी आदि आती हैं।

Mixed cropping - विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली फसलों की एक साथ कृषि

Mixed farming कृषि + पशुपालन
(N-W Europe + some parts of N. America)
भारत में नहीं

Multiple cropping - एक वर्ष में एक से अधिक बार फसलों का एक ही खेत में उत्पादन बहुकसली कृषि कहलाता है।

Crop rotation -

विभिन्न फसलें क्रमिक रूप से एक ही वर्ष में एक ही खेत में उत्पादन किया जाता है, तो उसे शास्त्रावर्तन या फसल चक्र कहलाता है।

इसका तात्पर्य विभिन्न फसलों के फसल प्रतिरूप अर्थात् क्षेत्रफल के अनुपात से है।

भारत में फसल प्रतिरूप की दृष्टि से काफी विविधता पाई जाती है जिसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं -

1. भौगोलिक कारक - जलवायु, उच्चावच एवं

मृदा प्रमुख हैं

वर्षा > 1000mm

+ नवीन जलोद मृदा

पूर्वी भारत

आधारित

1000mm की

समस्त वर्षा रेखा के

पश्चिम स्थित

क्षेत्र में मुख्यतः गेहूँ आधारित एवं मोटे

अनाज आधारित

मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता के कारण

असिंचित क्षेत्रों में किसान बहुफसली कृषि

करते हैं। इसके कारण फसल प्रतिरूप की

विविधता बढ़ जाती है। कृषि की दृष्टि से

उपयुक्त होने के कारण काली मिट्टी के क्षेत्र

में कृषि आधारित फसल प्रतिरूप का

वर्षा की अधिकता (>1000mm) तथा नवीन जलोद मृदा के कारण पूर्वी भारत में रावल आधारित फसल प्रतिरूप का विकास हुआ है।

1000mm की समस्त वर्षा रेखा के पश्चिम स्थित क्षेत्र में मुख्यतः गेहूँ आधारित एवं मोटे अनाज आधारित

मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता के कारण असिंचित क्षेत्रों में किसान बहुफसली कृषि करते हैं।

इसके कारण फसल प्रतिरूप की विविधता बढ़ जाती है। कृषि की दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण काली मिट्टी के क्षेत्र

में कृषि आधारित फसल प्रतिरूप का

यथन किया गया है। अनुकूल ऋतु एवं पर्याप्त वर्षा के कारण पर्वतीय इलाकों पर बाघ, कछुवा एवं मत्स्यों की वृद्धि की जाती है।

(४) संरचनात्मक कारक - मिथाई, M.Y.D. seeds, उर्वरक etc.

आर्थिक कारक

इनके विकास के पश्चात् ही N-W भारत (Punjab, Haryana) में गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास आदि फसलों के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

परिवहन, भंडारण एवं विपणन की सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप हाल के वर्षों में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल में तेजी से वृद्धि होती है।

(३) संस्थागत कारक

सामाजिक व्यवस्था से संबंधित

भारत में अधिकांश खेत छोटे एवं बिखरे हैं जिससे किसान गरीब हैं जिस वजह से भारत में मुख्यतः खाद्यान्नों की- जीवन निर्वाह वृद्धि की जाती है। (जोत का आकार, भू-स्वामी, कबजदारी)

संस्थागत सुधार के बावजूद भी N-W भारत में वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है।

परम्परागत मानसिकता से ग्रसित होने के कारण भारतीय विद्वान नवउत्पादों को अपनाने के लिए तत्पर नहीं होते जिसके फलस्वरूप जीदी दर जीदी समान फसलों की कृषि करते हैं। हाल के वर्षों में इसमें कुछ परिवर्तन आया है।

<4> राजनीतिक - प्रशासनिक कारक

सरकार की मूल्य नीति, आयात-निर्यात नीति, ऋण, बीमा, सब्सिडी की उपलब्धता, कृषि खादानों की उपलब्धता जैसे कारक भी फसल प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। श्रृ. तिलहन की कृषि को प्रोत्साहन दिये जाने के कारण तिलहन के क्षेत्रफल में (1957) सम्बूद्धर्षक वृद्धि हुई।

हाल ही में दलहन के समर्थन मूल्य में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप दलहन के क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने की मिल रही है।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में फसल प्रतिरूप

जलवायु, उच्चावच, मिट्टी, सैखनात्मक कारक, संस्थागत कारक आदि की विभिन्नता के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फसल प्रतिरूप का विकास हुआ है।

(1) पूर्वी भारत, असम घाटी / ब्रह्मपुत्र घाटी, पूर्वी तटीय मैदान तथा पाश्चिमी तटीय मैदान में चावल आधारित फसल प्रतिरूप का विकास जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है।

अधिक वर्षा ($> 1000 \text{ mm}$), उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, सघन जनसंख्या तथा अधिकांश क्षेत्रों में जीवन निर्वाह कृषि के कारण चावल की कृषि को वरीयता दी गई है। पूर्वी भारत में असिंचित क्षेत्रों में चावल की एकल कृषि की जाती है जबकि भारत के असिंचित क्षेत्रों में WB, असम, कृष्णा - गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा के सिंचित क्षेत्रों में चावल की दो फसलें प्राप्त की जाती हैं अर्थात् चावल - चावल (R-R) प्रतिरूप का विकास हुआ है।

→ पूर्वी उत्तरप्रदेश एवं बिहार के कई क्षेत्रों में चावल - गेहूँ प्रतिरूप देखने को मिलता है चावल आधारित कुछ अन्य फसल प्रतिरूप एवं उनके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं -

- चावल - गन्ना प्रतिरूप (UP, बिहार का तराई क्षेत्र)
- चावल - धूट प्रतिरूप (WB का डेल्टाई क्षेत्र, महानदी डेल्टा, निम्न असम घाटी तथा N-W Singh)
- चावल - राय प्रतिरूप (ब्रह्मपुत्र-घाटी)
- चावल - नारियल प्रतिरूप (पाश्चिम तटीय मैदान (KN, KL))
- चावल - मक्का प्रतिरूप (पूर्वी भारत का पहाड़ी क्षेत्र)

इतर-पश्चिमी भारत

<३> N-W भारत अर्थात् विशाल मैदान के पश्चिमी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी (बांगर) पाई जाती है। वर्षा ही मात्रा < 1000 mm.

संरचनात्मक सुविधाओं (सिंचाई, उर्वरक) का पर्याप्त विकास हुआ है। इस क्षेत्र में 1960 के दशक के पश्चात् फसल प्रतिरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। यह प्रदेश गेहूँ आधारित फसल प्रतिरूप का प्रदेश है।

- गेहूँ - गन्ना प्रतिरूप / प्रदेश (WB + UP)
- गेहूँ - चावल प्रतिरूप (पंजाब, पश्चिमी UP के कुछ क्षेत्र)
- गेहूँ - तिलहन प्रदेश (WB + UP का क्षेत्र)
- गेहूँ - कपास प्रतिरूप (हरियाणा, पंजाब तथा मालवा का पटार)
- गेहूँ - राय प्रतिरूप (पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी UP)

(3) पाश्चिमी शुष्क प्रदेश में अर्थात् राजस्थान

बलुई मिट्टी एवं गुजरात के शुष्क प्रदेश में बलुई मिट्टी वर्षा $< 50 \text{ cm}$ की प्रधानता है। वर्षा की मात्रा 50 cm से सिंचाई भी कम होती है, सिंचाई की सुविधाओं का सुविधाओं अभाव है। मक्का एवं अन्य मोटे अनाज आधारित फसल प्रतिरूप का विकास हुआ है।

मक्का + इस प्रदेश के फसल प्रतिरूप में ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत का मुख्य प्रभावित क्षेत्र है जहाँ हिमालय मानसून की अनिश्चितता के कारण मिश्रित फसल कृषि भी करते हैं।

(4) दक्कन लावा पठार क्षेत्र में काली मिट्टी,

काली मिट्टी वर्षा $< 1000 \text{ cm}$ वर्षा की मात्रा $< 1000 \text{ cm}$ तथा सिंचाई सुविधाओं का सीमित विकास है। ज्वार एवं कपास

इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसलें हैं। गन्ना, ज्वार एवं कपास तिलहन, गेहूँ आदि फसलों का भी फसल प्रतिरूप में महत्वपूर्ण स्थान है।

आधिकांश क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है।

(मिट्टी में उपस्थित नमी के आधार पर) की गई कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। यह कृषि बिना सिंचाई के की जाती है तथा ज्यादातर काली मिट्टी में प्रमुख होती है। भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा)

लाल मिट्टी (5) प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्र में लाल कम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो कम उपजाऊ होती है वर्षा < 750mm सिंचाई सुविधाओं के बिना वर्षा ही मात्रा भी < 750mm तथा सिंचाई का अभाव सुविधाओं का अभाव है। अतः इस क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, गन्ना, बाजरा, रागी, तिलहन, कपास आदि रागी, तिलहन फसलों का फसल प्रतिरूप में महत्वपूर्ण स्थान है। पहाड़ी ढलानों पर कटोरा / काँची, चाय एवं मसालों की कृषि की जाती है।

(6) हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर के

कम तापमान, कम तापमान, ढालवा, ढालवा भूमि, भूमि आदि के कारण फसल प्रतिरूप में बागवानी फसलों का अर्थात् फल एवं सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन क्षेत्रों में घाटियों में चावल सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। फसल प्रतिरूप में मक्का का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

उत्तर - पश्चिमी भारत में फसल प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण उत्पन्न समस्याएँ :-

(a) - 1960 के दशक में उत्तर पश्चिमी भारत में परम्परागत कृषि तकनीकी के आधार पर आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग प्रारंभ हुआ जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप में काफी परिवर्तन हुआ।

(1) मोटे अनाप एवं दलहनी फसलों के स्थान पर गेहूँ, चावल एवं गन्ना जैसी फसलों की खेती पर बल दिया तथा फलस्वरूप उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई परन्तु इसने गम्भीर सामाजिक - आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया।

(2) इस क्षेत्र की भौगोलिक दूरीयें चावल एवं गन्ना जैसी फसलों के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा < 60 cm जगहों पर उपरोक्त फसलों के लिए 150 cm वर्षा की आवश्यकता होती है।

(3) उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है। अतः सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर भूमिगत जल का विदोहन किया गया जिसके कारण भूमिगत जल स्तर 1 m/year की दर से नीचे गिरता जा रहा है। इन क्षेत्रों में पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है।

(4) अति सिंचाई के कारण मृदा के लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो रही है। उपरोक्त फसलों की कृषि बार-बार किये जाने के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आई है।

(5) रासायनिक उर्वरकों के अवांछित प्रयोगों के कारण मृदा की रासायनिक संरचना पर

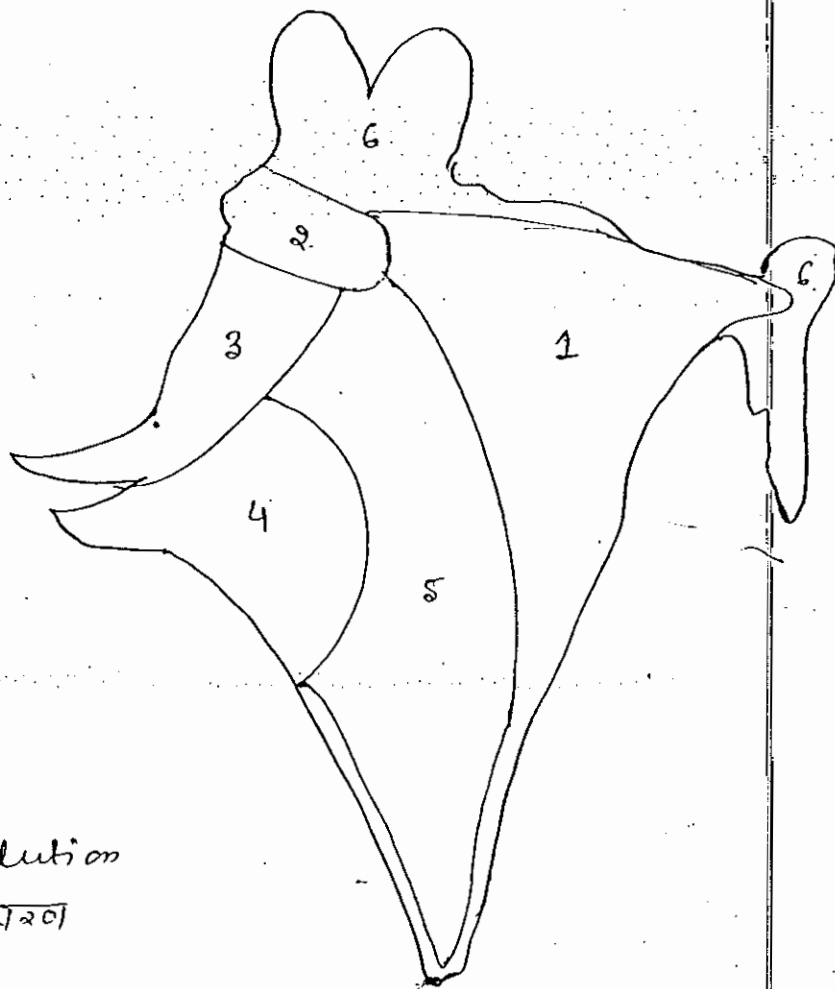
भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इन कारणों से मृदा ही उर्वरता शक्ति में कमी आई है जिसके कारण फसल की उत्पादकता या तो स्थिर या उसमें कमी की प्रवृत्ति है।

क) फसल ही कुछ सीमित प्रजातियों ही कृषि के कारण जैविक विविधता का नाश हुआ है। प्लहनी फसलों के क्षेत्रफल में कमी के कारण प्लहन के उत्पादन में कमी आई है।

ग) फसल प्रतिरूप में परिवर्तन के पश्चात् छोटे किसानों एवं कार्तकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भूस्वामियों द्वारा कार्तकारों को बेदखल किये जाने के फलस्वरूप सामाजिक दबाव बना है।

Date
31/7/18



1st Green Revolution
के चरण

1966-67 1987
गेहूँ, मक्का

IInd GR → रायबसीमा
चावल

भारत में कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन

1950 के दशक के पश्चात् भारत में फसल
प्रतिरूप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जो

निम्नलिखित हैं -

- 1 1960 के दशक में उत्तर - पश्चिम भारत
(पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी UP, राजस्थान का
जैगनगर जिला) में संरचनात्मक एवं संस्थागत
सुधार तथा आधुनिक कृषि तकनीक का बड़े

पैमाने पर उपयोग प्रारंभ हुआ। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप मोटे अनाज एवं दलहन फसलों के स्थान पर गेहूँ, गन्ना, कपास, चावल आदि फसलों की कृषि बृहद क्षेत्र में प्रारंभ की गई। खाद्य फसलों की उन्नत में वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई।

2. 1980 के दशक में तिलहन तकनीकी मिशन (Oil Technology Mission) प्रारंभ किया गया।

तिलहन के उन्नत बीजों की उपलब्धता तथा तिलहन के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई जिसके फलस्वरूप तिलहन का क्षेत्रफल ^{बढ़कर} 175% हो गया।

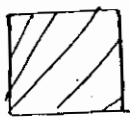
3. हाल के वर्षों में तीव्र आर्थिक विकास, प्राथमिक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि, नगरीकरण के कारण गेहूँ अनाज फसलों जैसे - बागवानी फसल के माँग में तेजी से वृद्धि हुई है। बागवानी फसलों की कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप बागवानी फसलों के क्षेत्रफल में तीव्र वृद्धि हुई है।

4. वर्तमान समय में सरकार द्वारा फलहन की कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कई

कम उगाये गये हैं। दलहन के समर्थन मूल्य में वृद्धि ही गई है। तथा 60,000 गाँवों को दलहन गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप दलहन के क्षेत्रफल में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।

5. फसल प्रतिक्रिया में उपरोक्त परिवर्तन के अलावा चाय, कद्वा, मालू, कपास जैसे नकदी फसलों के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है जिसके लिए संरचनात्मक सुधार तथा Post Harvest Management (फसल कटाई के बाद प्रबंधन) को उत्तरदायी माना जा सकता है।

Agricultural Intensity / Cropping Intensity
एक वर्ष में किसी खेत में कितनी फसल उपाई जाती है



$$A.I = \frac{G.C.A}{N.C.A} \times 100\%$$

G.C.A = सकल फसल क्षेत्र

$$A.I = \frac{10ha}{10ha} \times 100\% = 100\%$$

2 फसल एक वर्ष में उपायी जाने पर

$$= \frac{20ha}{10ha} \times 100\% = 200\%$$

यह बताता है कि हम किसी कृषि भूमि को कितनी efficiently use कर रहे हैं।

भारत A.I → 135%
चीन A.I → 190%

कुल कृषि भूमि = 54%

इसमें से 47% = छोटा गया क्षेत्र

कृषि

गहनता

in Punjab

= 190%.

कृषि गहनता का निर्धारण किसी कृषि क्षेत्र

में एक वर्ष में कृषपाई जाने वाली

कारण →

संस्थागत +

संरचनात्मक

सुधार

फसलों की संख्या के आधार पर किया

जाता है। इसके द्वारा यह पता चलता है

कि किसी कृषि भूमि की क्षमता का कितना

व्यवहारिक उपयोग किया जा रहा है। इसे

निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है -

भारत में औसत कृषि गहनता 135% है

जो कि काफी कम है चीन में यह 190% है

कृषि गहनता को बढ़ाने वर्तमान समय में

भारत में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग

54% क्षेत्र पर कृषि की जाती है, 47%

शुद्ध छोटा गया क्षेत्र है। अतः शुद्ध कृषि

क्षेत्र में कृषि की संभावना नहीं है बाकिण्य

में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, अन्य विकास

कार्य आदि के लिए कृषि भूमि के

अधिग्रहण के लिए शुद्ध फसल क्षेत्र में

कमी हो सकती है जबकि खेतीखानों की

माँग में कृषि होगी ऐसी स्थिति में कृषि

उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि गहनता को बढ़ाना आवश्यक है। संस्थागत, संरचनात्मक तथा तकनीकी सुधार के द्वारा कृषि गहनता बढ़ाई जा सकती है। (कुल कृषि भूमि)

वर्तमान में भारत के मात्र 45% क्षेत्र पर सिंचाई ही जाती है अतः सिंचित भूमि के विस्तार की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। सिंचाई परियोजनाओं के समुचित रखरखाव के अभाव के कारण सिंचाई क्षमता का

वर्षों के अल्प प्रयोग हो रहा है इसमें सुधार आधार पर ही आवश्यकता है। वैसे क्षेत्रों में जहाँ कृषि आधारीत जल के द्वारा सिंचाई नहीं की जा सकती वहाँ वर्षा जल संचयन के द्वारा कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए शुष्क कृषि का विकास आवश्यक है।

जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ wet farming (तर) < 75 cm वर्षा ↓ Dry Farming (Dryland Farming) मृदा में उपलब्ध नमी के आधार पर जो कृषि की जाती है - वृ. मोटे अनाज, दलहन, तिलहन वी. कृषि Black soil area watershed management (जल विभाजक प्रबंध) के द्वारा पठारी क्षेत्रों में

कृषि गहनता में वृद्धि की जा सकती है। कृषि में मशीनों के प्रयोग से समय की बचत होती है ^{जिससे} कृषि गहनता बढ़ाई जा सकती है। कृषि गहनता को बढ़ाने में कम समय में तैयार होने वाली फसलों (Short Maturing Crop) की भूमिका भी महत्वपूर्ण आवित हो सकती है। कमल चक्र के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति को संरक्षित करके कृषि गहनता को बढ़ाया जा सकता है।

कृषि की गहनता बढ़ाने के उपाय

- सिंचाई परियोजनाओं का समुचित रखरखाव
- वर्षा जल संचयन
- शुद्ध कृषि
- watershed Management
- मशीनों का प्रयोग
- Short Maturing crop
- Crop Rotation

Post Harvest Management

कृषि उत्पादों का भंडारण, परिवहन एवं विपणन

९. भारत में कृषि वस्तुओं के भंडारण से संबंधित समस्याओं के बारे में बताइए तथा इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों पर चर्चा कीजिए।

९. भारतीय कृषि उत्पादों के विपणन (Marketing) से संबंधित प्रमुख बाधाओं पर चर्चा कीजिए

९. भारतीय कृषि में विपणन प्रणाली में - सुधार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए

९. भारत में Post Harvest Management से संबंधित प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

९. Post Harvest Management भारतीय कृषि के विकास के लिए आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए।

भंडारण (Storage)

भारत की जलवायु भारत में कृषि में तेजी से वृद्धि हुई जिसके कारण production (अधिशेष उत्पादन) बढ़ा है। स्टॉक की मात्रा में वृद्धि हुई है जो उत्पादों के मर्मथन मूल्य में वृद्धि हुई। सार्वजनिक वितरण हेतु अधिक मात्रा खाद्यान्नों का सरकार द्वारा क्रय किया गया है परन्तु अपर्याप्त एवं बेवपूर्ण कारणों के कारण कई समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जो निम्न हैं -

(1) कुल कृषि उत्पाद का 10% से भी अधिक बीट, चूल्हों आदि के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। (2) कृषि उत्पाद की मात्रा में कमी आने से मूल्य में वृद्धि होती है। तथा सरकार पर सिलिंडी का बोझ बढ़ता है उसके फलस्वरूप सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर होती है।

(3) भंडारण की सुविधा के अभाव के कारण किसानों को बाध्य होकर कृषि उत्पाद को तत्काल बाजार में बेचना पड़ता है। जिसके कारण उन्हें वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिल पाता इससे वे हतोत्साहित होते हैं।

<3> भारत में उत्तम एवं आर्द्र पलवायु पाई

जाली है। अतः आधुनिक भण्डारण सुविधाओं के अभाव के कारण कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में हानि होता है।

उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए गोदामों का नेटवर्क स्थापित करना आवश्यक है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र (cooperative) तथा निजी क्षेत्र द्वारा गोदाम तथा शीत गृह (Cold storage) का निर्माण किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत यह कार्य FCI, CWC (Central warehouse corporation) S.W.C. (राज्य भंडारण निगम) द्वारा यह कार्य किया जाता है। इनमें सर्वाधिक भण्डार FCI की है जो निर्माण के साथ-साथ किराये पर भी गोदाम लेती है।

अनेक विपणन सहकारी समितियों द्वारा गोदाम का निर्माण किया गया है। इसके लिए NCDC (National co-operative development corporation) द्वारा वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

शासीन क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए 2001 में एक केन्द्रीय योजना

प्रारंभ ही गई है जिसे गोदाम मंडारण

गोदाम के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अन्तर्गत विज्ञान / सहकारी संस्था / NGO / SHG / आदि को गोदाम के निर्माण हेतु सस्मिड़ी उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का लाभ यह है कि खेत के निकट ही उत्पादित वस्तुओं का मंडारण किया जा सकता है तथा मंडारण खर्च को गिरवी रखकर बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। उससे Distress Sale से सुरक्षा मिलती है। (Sep 2012 तक 29,000 गोदामों को अनुमति दी जा चुकी है) 11 वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से 50% अधिक सफलता प्राप्त हुई है।

हाल के वर्षों में गोदाम के निर्माण के लिए PPP Model को अपनाया जा रहा है तथा उत्पादन एवं उपभोग दोनों ही क्षेत्रों में गोदाम का निर्माण किया जा रहा है ताकि गोदामों के एक शपटीय गिड का निर्माण किया जा सके।

12 वीं Fyp में टॉवर के आकार के आधुनिक, डांस के निर्माण पर बल दिया जा रहा है।

(पम्मी) परिवहन
 0 बारहमासी
 सड़कों का
 सभाव
 ५
 ब्रम्डे लिए
 प्रधानमंत्री
 ग्राम सड़क
 योजना
 (PMGSY)
 71% target
 achieved.
 Refrigerated
 van.

ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों एवं परिवहन
 की सुविधा के अभाव के कारण किसानों
 को कृषि उत्पाद ग्रामीण व्यापारियों/भाहूकारों
 को बाध्य होकर कम कीमत पर बेचना
 पड़ता है। अतः कृषकों की आर्थिक स्थिति
 में सुधार तथा ग्रामीण विकास हेतु
 परिवहन सुविधाओं का विकास आवश्यक
 है। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण
 प्रयास PMGSY है जो २००० में प्रारंभ
 की गई है। इस योजना का उद्देश्य
 सड़क-अभ्यर्क से वंचित गाँवों को बारहमासी
 सड़कों से जोड़ना है। योजना के प्रथम
 चरण में ५०० से अधिक आबादी वाले
 गाँवों को जोड़ने का लक्ष्य है। पहाड़ी/
 जनजातिय / मरुस्थलीय / नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
 में स्थित २०० + ^{pop} वाले गाँवों को भी
 जोड़ा जायेगा। इसके अलावा इस योजना
 में सन्निगस्त सड़कों के सुधार तथा
नवीनीकरण का भी लक्ष्य रखा गया है।
 May 2012 तक 71% गाँवों को प्रथम
 चरण में सड़कों के द्वारा जोड़ा जा
 चुका है।

Date
1/8/13

नाशवान कृषि वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे में रेगिस्ट्रारेटेड वेंगन की विशेष व्यवस्था की गई है।

विपणन (Marketing)

Essential
commodity
Act
↓
कमलों का
distribution
Uniform
रूप में
होता रहे

APMC Act
↓
Agricultural
Product
Market
Committee
व्यापारियों
द्वारा किसानों
से प्रत्यक्ष
वस्तु खरीदने
पर प्रतिबंध

Marketing
Committee में
lack of
transparency
e-trading
internet के
माध्यम से
वस्तुओं की

उत्पादकों / कृषकों को कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर कृषि वस्तुओं की उपलब्धता के लिए विपणन प्रणाली का सुदृढ़ होना आवश्यक है, परन्तु भारत में विपणन प्रणाली में संबंधित कई समस्याएँ हैं जो निम्नलिखित हैं -

1. भंडारण की सुविधा की कमी तथा प्रयोगशाला के कारण किसानों को तत्काल अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिसके कारण उन्हें कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है।

2. भंडारों में किसानों का संगठित व्यापारियों द्वारा शोषण होता है।

3. विपणन प्रणाली में विचारों की उपस्थिति के कारण किसानों की

विपणन से
संबंधित
नियम
बनाने का
अधिकार
राज्यों को
Model
APMC Act

- direct purchase of product from Farmer
- contract farming
- भंडारण का अभाव
- प्रयोगशाला

खरीदी -
बिक्री
online
shopping

उनके उत्पादों का वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। अनेक मामलों में यह पाया गया है कि डिमानों को बाजार मूल्य का मात्र 50% ही प्राप्त हो पाता है।

श्रेणीकरण
का अभाव

4. कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण (grading) के अभाव के कारण डिमानों को उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।

परिवहन
व्यवस्था
का अभाव

5. समुचित परिवहन व्यवस्था की कमी के कारण भी विपणन में बाधा उत्पन्न होती है।

सूचना
जानक
का अभाव

6. बाजार में संबंधित सूचनाओं एवं जानकारी के अभाव के कारण डिमानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है।

आधा-
पुर्ण
की

7. मंडियों में आधारभूत सुविधाओं की कमी भी विपणन में बाधा है।

सरकार द्वारा विपणन प्रणाली में

सुधार के लिए समय-समय पर कई प्रयास किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं -

1. कृषि उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विपणन आदि को विनियमित करने के लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम पारित

किया गया। कृषि उत्पादों की कमी के कारण
 ऐसा करना आवश्यक था। वर्तमान समय
 में कृषि वस्तुओं के उत्पादन में काफी
 बढ़ि हुई है। इस अधिनियम के निर्बंधन
 के कारण कृषि वस्तुओं का अन्तर-राज्यीय
 (Inter State) व्यापार की मात्रा काफी
 सीमित है जिसके कारण कृषि उत्पादों के
 राष्ट्रीय बाजार का विकास नहीं हो सका है।
 अतः योजना आयोग द्वारा इस अधिनियम
 को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है
 ताकि राष्ट्रीय बाजार के विकास के लक्ष्य
 उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों को लाभ
 प्राप्त हो सके। इसके पश्चात् Agriculture
 Produce Inter-State Trade & Commerce
 Bill - 2012 का मसौदा (Draft) तैयार
 किया गया है। जिसका उद्देश्य एक बाजार
 से दूसरे राज्य में कृषि उत्पादों के
 स्वतंत्र एवं निर्बंध आवाजाही को प्रोत्साहित
 करना है।

2. विपणन व्यवस्था को विनियमित करने के
 लिए राज्यों एवं -UTs द्वारा ~~APMC Act~~
 (Agriculture Produce & Marketing Committee)
 पारित किया गया। इसके पश्चात् विनियमित

मंडियों (Regulated Market) का विकास

APMC
↓
Regulated
Market

दिया गया जिसमें सरकार, किसान, व्यापारी सभी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इनके द्वारा ही विनियमित मंडियों का प्रबंधन दिया जाता है। इसका उद्देश्य व्यापारियों, बिक्रेतियों एवं एजेंटों के शोषण से किसानों की रक्षा करना है। वर्तमान समय में

7157 विनियमित मंडियाँ हैं जिनके द्वारा कुल उपज के 70% भाग का क्रय-

विक्रय दिया जाता है। APMC Act के अंतर्गत व्यापारियों को सीधे किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद को प्रतिबंधित दिया गया। वर्तमान समय में APMC

APMC
की कमि-
योरशिप
का अभाव

प्रणाली के कुछ कमियों के कारण इसमें सुधार दिया जा रहा है। पारदर्शिता के अभाव के कारण किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना, भ्रष्टाचार, गुणवत्ता नियंत्रण एवं ग्रेडिंग व्यवस्था का अभाव, विकल्प के अभाव के कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव आदि इस प्रणाली की प्रमुख कमियाँ हैं। अतः बाजार सुधार (Marketing Reform) हेतु केन्द्र सरकार द्वारा ~~APMC Act~~ का मसौदा तैयार किया गया है

जिसके अनुरूप अनेक राज्यों ने अपने
APMC एक्ट में संशोधन किया है। इस
एक्ट के प्रावधानों में निम्नलिखित प्रमुख हैं -
(i) उत्पादकों को विपणन की दृष्टि से अनेक
विकल्प उपलब्ध कराना ताकि कृषि बाजार
में प्रतिस्पर्धा बढी जा सके एवं किसानों
को उनके उत्पादों का बेहतर / लाभकारी मूल्य
प्राप्त हो सके।

(ii) Model Act में direct marketing (प्रत्यक्ष
विपणन) से संबंधित प्रावधान दिया गया
है जिसके अंतर्गत कंपनियों / फर्म को
सीधे किसानों से कृषि वस्तुओं की खरीदों
की सुविधा प्रदान की गई है।

Contract (iii) मॉडल एक्ट में Contract Farming (संयुक्त
farming
also called कृषि) पर अलग से एक अध्याय जोड़ा
गया है। अनुबंध कृषि के अंतर्गत किसान
Subgrower Scheme &
satellite पूर्व निर्धारित कीमत एवं समय पर
farming किसी खरीददार फर्म को निर्धारित गुणवत्ता
की वस्तु की आपूर्ति करने का अनुबंध
करता है। अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा वित्त,
तकनीकी एवं कृषि सागत (inputs) की सुविधा
भी उपलब्ध कराई जाती है। फर्म द्वारा
राज्य गुणवत्ता
के आधार पर) अनावश्यक करों से, भुगतान में विलंब

आदि समस्याएँ इस व्यवस्था में उत्पन्न हो रही हैं। इसके जलावा इसका लाभ बड़े किसानों को मिल रहा है। अर्थात् छोटे किसान इसके लाभ से वंचित हैं।

(iii) सुभाव - अनुबंधकारी फर्म का पंजीकरण होना चाहिए और अनुबंध लिखित एवं स्पष्ट रूप से होना चाहिए।

(iv) ऐसे बाजारों के विकास को प्रोत्साहन जहाँ उत्पादक सीधे खुदरा रूप में उपभोक्ताओं को कृषि उत्पाद सी बिक्री कर सकें।

(v) Post Harvest आधारभूत संरचना में निवेश आकर्षित करने का प्रावधान

(vi) उत्पादकों को बाजार से संबंधित जानकारी

सूचना उपलब्ध कराना ताकि वे बाजार की माँग के अनुरूप उत्पादन कर लाभ अर्जित कर सकें।

(vii) e-trading की सुविधा प्रदान करना

(viii) पट्टेकारी कानून में संशोधन ताकि

निजी कंपनियों को भासानी से पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके।

3. कृषि उत्पादों के शेरीकरण एवं मानकीकरण को प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

गुणवत्ता को प्रमाणित करने हेतु

AGMARK

(Agri. Marketing) का प्रावधान किया गया है।

<4> अंडारण की सुविधाओं का विकास

१९) विपणन संबंधी सूचनाओं का प्रसार - इसके अन्तर्गत रेडियो, टी. वी. इन्टरनेट पर विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्य की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। AGMARKNET पर यह सुविधा विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है।

<6> सरकार द्वारा MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कृषि उत्पादों को खरीदने की गारंटी दी जाती है। FCI जैसी सरकारी एजेंसियाँ कृषि वस्तुओं को खरीदकर PDS के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर कृषि वस्तुएँ उपलब्ध कराती हैं।

<7> ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनासी सड़कों का विकास ।

<8> कृषि उत्पादों के क्रय - विक्रय हेतु सहकारी समितियों का गठन किया गया है। संगठित होने के कारण सहकारी समितियों की शक्ति बढ़ाने की शक्ति (bargaining power) बढ़ जाती है तथा विपणनियों में भी सुविधा मिलती है। ये सहकारी संस्थाएँ कुछ अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराती हैं जैसे किसानों को

• अग्रिम (Advance) ः ऋण की सुविधा

• भंडारण ः परिवहन की सुविधा

• भेनीकृत एवं मानक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन।

Information & Communication

Technology (ICT)

08

E - Technology

inform is
power

roast
prog.

पंचायतों से
कम्प्यूटर्स के
माध्यम से
जोड़ा गया
ई-चौपाल)

e-governance

में 32

Mission Mode
project

→ e-governance
in Agriculture

→ NABP

(Nation e-
governance
project)

in Agr.

केन्द्र द्वारा
प्रायोजित

कृषि क्षेत्र
से संबंधित
सूचनाएँ

सरकार उपलब्ध
कराती है।

कृषि के विकास में ICT की
महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके माध्यम

से किसानों को कृषि से संबंधित
विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की

जानकारी प्राप्त की जा सकती
है। कृषि आगत एवं कृषि

व्यवहार के उत्तम तरीकों के

बारे में जानकारी उपलब्ध कराई
जा सकती है जिससे कृषि उत्पादन
को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

मौसम से संबंधित जानकारी उपलब्ध

कराकर किसानों को कृषि की योजना
बनाने में सहायता दी जा सकती है।

बिपणन / बाजार से संबंधित जानकारी

के द्वारा किसानों को कृषि उत्पादों का
लाभकारी मूल्य दिलाया जा सकता है।

उपचुक्त लाभों को देखते हुए ही भारत
में ई-चौपाल की शुरुआत की गई।

राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 में ICT पर

• Dept of
Agr &

Cooperation

ने 80 ports

का विकास

किया गया है।

• Farmer
Harbour

portal

+
single
window
system

काफी बल दिया गया है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में IT से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख योजनाएँ चलाई जा रही हैं -

(1) National e-governance project / plan in Agriculture (NEGP - A) - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है इस Mission Mode project (MMP) की शुरुआत 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में प्रारंभ की गई है। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं सहकारिता विभाग (DAI) के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषकों को कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की अद्यतन सूचनाएँ / जानकारी उपलब्ध कराना है। यह जानकारी इंटरनेट, मोबाइल फोन, डिजिटल कॉल सेंटर (KCC), कृषि विकास केंद्र आदि के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाएँ / सूचनाएँ उपलब्ध कराई गई हैं -

(a) कृषि आगत जैसे - सिंचाई, बीज, उर्वरक आदि से संबंधित सूचनाएँ

(b) मृदा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी

(c) मौसम से संबंधित जानकारी एवं भूसाह

(d) विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के

मूल्य की जानकारी

(e) स्थाय - निर्धारित हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण

(f) कृषि से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी

(g) सूखा राहत एवं सूखा प्रबंधन

(h) पशुधन प्रबंधन से संबंधित जानकारी

<2> DAC द्वारा कृषि से संबंधित जानकारी के लिए [80 पोर्टल] का विकास किया गया है।

<3> DAC द्वारा [AGRI-SNET] (Agriculture & cooperative in states) योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत ब्लॉक / प्रखण्ड स्तर तक कम्प्यूटीकरण करने हेतु राज्यों एवं UTs को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देश के 26 राज्यों को ये लाभ मिल चुका है।

<4> कृषि से संबंधित सभी सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु एकल खिड़की (single window) के रूप में Farmer portal का विकास किया जा चुका है।

<5> भूमि से संबंधित आंकड़ों के कम्प्यूटीकरण हेतु परिचालन चलाई जा रही है।

<6> e-trading के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

Questions

1. भारत प्राकृतिक आपदाओं का देश है, स्पष्ट कीजिए।
2. भारत में बाढ़ प्रवण (Flood prone) (प्रभावित) क्षेत्रों की पहचान कीजिए तथा बाढ़ नियंत्रण नीति एवं कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए।
3. भारत में बार-बार (frequently) बाढ़ आने के क्या कारण हैं? बाढ़ प्रबंधन हेतु आप अपना सुझाव दीजिए।
4. भूस्लखन (Landslide) क्या है? भारत में कौन-कौन से क्षेत्र भूस्लखन से अधिक प्रभावित हैं। भूस्लखन के कारण एवं नियंत्रण पर चर्चा कीजिए।
5. हाल में आये उत्तराखंड आपदा के लिए प्राकृतिक कारकों के साथ-साथ मानवीय कारक भी उत्तरदायी हैं। स्पष्ट कीजिए।
6. संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में अनियंत्रित मानवीय हस्तक्षेप गंभीर आपदाओं को जन्म देता है। हाल के कुछ उदाहरणों के द्वारा उपरोक्त वक्तव्य को स्पष्ट कीजिए।

7. भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का संकारण विवरण दीजिए तथा सूखा नियंत्रण हेतु उपाय सुझाएं
8. भारत में सूखा प्रबंधन की दिशा में छिये गये प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए (Evaluate)
9. भूकंप की मांका के आधार पर भारत को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कीजिए
10. भारत में भूकम्प के कारण, प्रभाव एवं बचाव के उपायों पर चर्चा कीजिए
11. भारत में सुनामी प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए तथा सुनामी से बचाव के उपायों पर चर्चा कीजिए
12. भारत में चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों, प्रभावों एवं बचाव पर चर्चा कीजिए।
13. भारत के पर्वतीय क्षेत्र जिन - 2 प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित / प्रभावित हैं, स्पष्ट कीजिए
14. भारत के तटवर्ती क्षेत्र जिन प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित हैं, उनका संकारण विवरण दीजिए।
15. भारत में आपदा प्रबंधन की दिशा में हाल के वर्षों में छिये गये उपायों पर चर्चा कीजिए।

16. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख (mention) कीजिए।

17. भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्याओं एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

18. भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय नीति पर चर्चा कीजिए।

19. प्राकृतिक आपदाएँ भारत के अतः सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक हैं। स्पष्ट कीजिए

Hazard - यह एक Threat (ख़ांशका) है।

Realisation of Hazard is Disaster है (actual impact)
↳ वास्तविक परिणाम

Threat

यदि समाज को प्रभावित कर दे

Natural Hazard

Natural Disaster

↳

Society को कितना नुकसान पहुँच रहा है।

आपदाएँ

प्राकृतिक आपदाएँ

मानवीय आपदाएँ

जलवायु से
संबंधित
→ बाढ़
→ सूखा
→ चक्रवात

भू-गर्भीय
क्रियाओं/
विवर्तनिकी
विषयों से
संबंधित
→ भूकम्प
→ सुनामी
→ भूस्लखन

रासायनिक
नाभिसीय
तथा
आयोजिक
ऊर्ध्वनाक्षों
से
संबंधित

युद्ध,
आतंकवाद,
नक्सलवाद
से
संबंधित

पर्यावरण
प्रदूषण
से
संबंधित
↓
जलवायु
परिवर्तन,
ग्लोबल
वार्मिंग

अन्य → अनियंत्रित

भीड़ के कारण

• Communication
system के ख़राब
होने के कारण
उत्पन्न आपदा

• Strike

भारत के कुल क्षेत्रफल का

65% क्षेत्र एकल या बहुल
आपदाओं से ग्रसित है।

eg. Himalaya, coastal area.

68% area → Drought
से प्रभावित

58% → मध्यम एवं उच्च भूकम्प क्षेत्र

II → क्षति उच्च (V, IV, III)

भूकम्प Magnitude → 8.0+ 7-7.9M 5-6.9M

IV → उच्च
भूकम्प क्षेत्र

III → मध्यम भूकम्प क्षेत्र

18% → Flood से प्रभावित

8% → Cyclone

पर्वतीय क्षेत्र → भूस्लखन

तटीय क्षेत्र → सुनामी से

आपदा क्या है?

Disaster

Hazard एक Threat (आशंका) है जबकि Disaster उसका वास्तविक परिणाम है।

जब कोई समुदाय किसी Hazard से प्रभावित होता है तब उसे Disaster कहा जाता है।

Disaster का जनजीवन, समाज, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण पर घातक प्रभाव पड़ता है।

जो समाज किसी Hazard के लिए जितना अधिक vulnerable (शैथिल्य) होता है वह समाज Disaster से उतना ही अधिक प्रभावित होता है।

यही कारण है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश ज्यादा disaster से प्रभावित हैं क्योंकि ये ज्यादा vulnerable

हैं। सबसे ज्यादा

बाद प्रभावित

क्षेत्र → East UP,

Bihar, Bengal,

& Assam

(Lower Ganga & Brahmaputra valley)

② Godavari, Mahanadi, Krishna delata

↳ चक्रवात

③ Himachal Pradesh, Uttarakhand.

Reason

• Cloud Burst

↳ Flash Flood

↳ अचानक, बहुत तेजी से,

Short time के लिए बाढ़

(Short lived)

बादल का घटना

प्रभाव

कम समय में
बहुत अधिक
बारिश

भूस्लाधार

प्रचण्ड

काफी विनाशकारी

जल का स्तर 1

Mud slip

(इतना ज्यादा Mud

Flow हुआ कि

नदी के तल में

अवसाद जम गये और

उसका तल ऊपर आ

आया)

Ras. Pb

५

lack of

proper drainage

जल का अपवाह

तंत्र विकसित नहीं

land slide से

(HP)

पारिजु नदी का मार्ग

अवरुद्ध

वृक्ष, घास, झाड़ी

५

जल का प्रवाह

धीरे - धीरे

पानी का एक

बड़ा भाग under

ground

हो जाता है।

मृदा क्षय

अवरुद्ध है

मानवीय कारक

७ वनों की कटाई

० भूमि क्षति

० क्षति कारण

तटबंध (embankment)



० तटबंध का proper

रख-रखाव नहीं

नहीं

2008 में कोसी

नदी में बांध

० मृदा का नवीनीकरण

नहीं हो पाता

० जल वापस नदी में

आ जाता

मौलिक विभाग,

विद्युत उत्पादन

विभागा व

ग्रिड विभाग के

बीच समन्वय का

अभाव (बांध का जल रोकना)

भारत में

अब तटबंधों

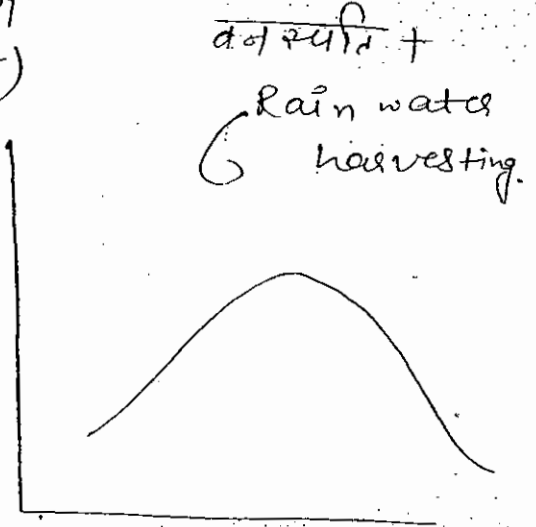
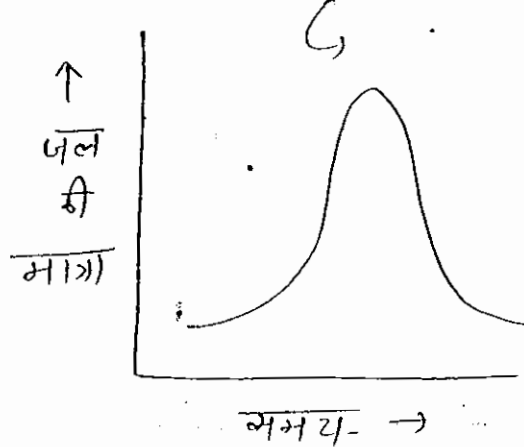
पर विचार

नहीं

→ नदी के निचले घाटी में कृत्रिमता
(वास्तविकता का निर्माण)

→ नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन

→ पक्की बैरज का निर्माण
(वनस्पतियों का अभाव)



→ जलवायु परिवर्तन → पिछली साताब्दी में

$0.6^{\circ}\text{C} \uparrow$

वायु की जलवाष्प धारण

करने की क्षमता $\uparrow$ 6°C of temp.

→ वर्षा की मात्रा $\uparrow$

उपाय

1976 - वाह नियंत्रण आयोग

मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण • वाह प्रभावित क्षेत्रों की पहचान, खतरे के निष्पन्न-का निर्धारण • बहुउद्देश्यीय धारी परियोजनाएँ • निकासी नालों का नियंत्रण

→ वाह का उपयोग कैसे करे → ऐसी कमजोर • का विकास

धान की सम्पत्ति

I & II

बाढ़ (Flood)

जब नदी का जल छिनारों का क्षतिक्रमण कर
184 → क्षामपात्र के धेड़ों में फैल जाता है तो
Bangladesh बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। भारत
विश्व का दूसरा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है
भारत में बाढ़ से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र
निम्नलिखित हैं -

<1> निम्न गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी - यह भारत का
सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित
क्षेत्र है जो बिहार, असम, पूर्वी UP, तथा
WB में फैला हुआ है। इस प्रदेश में बाढ़
(क्षेत्र)

के प्रमुख कारण -

(a) नदियों का विशाल जल ग्रहण क्षेत्र तथा
catchment area हिमालय क्षेत्र में (catchment area)
असालाधार वर्षा

(b) हिमालय के तीव्र ढाल के कारण नदियों
slope का तीव्र प्रवाह परन्तु मैदानी क्षेत्र में
मंद ढाल के कारण जल का वृहत् क्षेत्र
में फैलाव

(c) नदियों में बड़ी मात्रा में गाद (silt) के
o silt जमाव के कारण (विशाल) जल संचायोचित करने
की क्षमता में कमी

Ground (d) ~~धक्का~~ भूमिगत जलस्तर कैंची होने के कारण
water table जल का धीमा रिखाव (slow percolation)
high तथा लम्बे समय तक जल का प्रभाव

(e) नदियों का मार्ग परिवर्तन (इलाक़ा -
कोसी, तिस्ता आदि)

(f) नेपाल, भूटान एवं तिब्बत से समय पर
Hydrology संबंधी आंकड़े जल विज्ञान (Hydrology) संबंधी आंकड़े
सी पड़ोसी देशों प्राप्त न होना।
से प्राप्ति नहीं

<2> महानदी, कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी डेल्टा
प्रमुख कारण

(a) निम्न भूमि (कम कैंची) तथा मन्द बाल

(b) चक्रवात के कारण भूसलाधार वर्षा,
चक्रवात, लूकानी तरंगों (चक्रवात से उत्पन्न) के कारण
लूकानी तरंग, नदी का विकास अवकट होना तथा कैंची
कैंची तरंग तरंगों के कारण सागरीय जल का तटीय
क्षेत्रों में प्रवेश

<3> अन्य क्षेत्र - उत्तराखण्ड, HP, Kashmir
धारी,

पंजाब, हरियाणा एवं गजस्थान के कुछ क्षेत्र

(a) उत्तराखण्ड तथा HP में बाढ़ का
बाढ़ का फटना, फटना, भूस्खलन तथा पंक प्रवाह (Mud
भूस्खलन, Flow) के कारण Flash Flood की
पंक प्रवाह समस्या उत्पन्न होती है।

4

Flash Flood

(b) पंजाब, हरियाणा एवं उपस्थान में अपवाह proper drainage तंत्र विकसित नहीं हो पाने के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है।

यद्यपि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है वैज्ञानिक व परन्तु अवैज्ञानिक एवं अनियोजित मानवीय नियोचित गतिविधियों के कारण बाढ़ की गहनता एवं विविधता इसी कारम्भारता में वृद्धि होती है। यही कारण है कि बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रमों के कारम्भारता 1 क्रियान्वयन के बावजूद भी भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (5% से बढ़कर 12%) तथा बाढ़ से होने वाले नुकसान में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं -

(1) वनों का विनाश, अतिचारण (w. Himalay HP, UK) forestation + overgrazing तथा जूम वृद्धि के कारण runoff (जल के प्रवाह) में तेजी, बिनास बिभाव में कमी, गाढ़ की मात्रा में वृद्धि।

(2) पर्वतीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों कासात्मक गतिविधियाँ भादि के कारण भू-स्तरन एवं पंक प्रवाह (Mud Flow) की घटनाओं में वृद्धि

(3) तटबंधों के समुचित रखरखाव के अभाव में तटबंधों का टूटना (eg. 2000 में)

बिहार में कोसी नदी में आई अचानक बाढ़
का कारण यही था)

River Basin (4) नदियों के निचले घाते में अतिक्रमण -
(Basin)

↓
नगरीय वस्ती जनसंख्या दबाव के कारण नगरीय वास्तियों
अवैध निर्माण का विकास, अवैध निर्माण आदि।

(5) बांधों से विशाल मात्रा में पल का
अचानक छोड़ा जाना

(6) विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की
कमी

(7) पक्की संरचना का निर्माण एवं वर्षा
पल - संयंत्र (water harvesting) का अभाव

(8) जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम
में असामान्य परिवर्तन तथा अत्यधिक
वर्षा की घटनाओं में वृद्धि

(9) क्षेत्रपूर्ण बाढ़ नियंत्रण उपायों के द्वारा
कुछ विशेष क्षेत्र बाढ़ मुक्त परन्तु कई
नये क्षेत्रों का बाढ़ग्रस्त होना

(10) आपदा प्रबंधन तंत्र का कमजोर होना

(11) अनुचित जलप्रबंधन तकनीक को नहीं
(Proper water mgn. + technique)

अपनाना

18/11/18

प्रभाव

भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मुख्यतः निम्न मैदानी एवं डेल्टाई क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या निवास करती है। भारत का 12% क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है परन्तु इस क्षेत्र में देश की 20% जनसंख्या निवास करती है। विश्व में दूसरी बाढ़ के कारण दूसरी सर्वाधिक संख्या में मृत्यु भारत में ही होती हैं। औसत बाढ़ से प्रतिवर्ष 1500 लोगों की मृत्यु होती है तथा 2 लाख से भी अधिक मवेशी मौत के शिकार होते हैं। बाढ़ के कुछ अन्य प्रभाव निम्नलिखित हैं -

<1> बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न एवं पेयजल का संकट।

<2> कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी।

<3> खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट

<4> मकान, पुल (Bridge), सड़क, रेलमार्ग आदि संरचनाओं का व्यापक पैमाने पर नुकसान

<5> बाढ़ का प्रभाव मुख्यतः गरीब जनसंख्या पर गरीब जनसंख्या ही कच शक्ति में कमी। अतः अकाल एवं भुखमरी की समस्या

सामाजिक
समस्या

मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि

<८> बेरोजगारी के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या का स्थानान्तरण / प्रवास

<७> बाढ़ के पश्चात् महामारी की समस्या

सकारात्मक प्रभाव

<१> बाढ़ के कारण मिट्टी का नवीनीकरण जिसके फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरा क्षमता में वृद्धि

<२> Ground water discharge (भूमिगत जल का पुनर्भरण)

बाढ़ नियंत्रण की दिशा में लिये गये प्रयास

भारत में प्रारंभ में संरचनात्मक उपाय के द्वारा बाढ़ नियंत्रण का प्रयास किया गया। १९५५ में रोकने

देश एवं राज्य (केन्द्र & राज्य) में बाढ़ नियंत्रण

बोर्ड का गठन किया गया। १९७६ में राष्ट्रीय

बाढ़ आयोग का गठन किया गया। बाढ़ग्रस्त

नदी घातों (Basins) की पहचान की गई।

नदियों में खतरे के निदान का निर्धारण

किया गया। बाढ़ प्रवण (Prone) क्षेत्रों में (आर्बाक)

भूमि उपयोग एवं विकास कार्यों को विनियमित

करने के लिए कानून बनाये गये। अनेक

बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत

विशाल बाँधों का निर्माण किया गया जिनका

मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था जैसे कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। लगभग 34,000 km तटबंध का निर्माण किया गया ताकि गाँव एवं नगरों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सके। जल के विकास के लिए 39,000 km लम्बे निकासी नालों का निर्माण किया गया। इन सभी उपायों के द्वारा 18.22 mn ha क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।

वर्तमान समय में तटबंधों एवं बाँधों को बाढ़ नियंत्रण का प्रभावी उपाय नहीं माना जाता है क्योंकि अनेक मामलों में ये उपाय आभासी सुरक्षा (False) प्रदान करते हैं। तटबंध के कारण जल के प्रभाव की समस्या में भी बढ़ि होनी है। अतः हाल के वर्षों में बाढ़ नियंत्रण हेतु गौर-संरचनात्मक उपायों पर अधिक बल दिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत बाढ़ से बचाव, सामंजस्य एवं सामना करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में 175 बाढ़ भाविपथक्षणी केन्द्रों (Flood Forecasting Centre) की स्थापना की गई है जिनके द्वारा बाढ़ की पूर्व सूचना दी जाती है। विश्वोप रूप से पर्वतीय

क्षेत्रों एवं तटीय क्षेत्रों में वनीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। मौसम पूर्वानुमान की दिशा में भी सुधार किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए चावल एवं धान जैसे कसलो की विशेष छिन्मों का विकास किया जा रहा है जिससे बाढ़ की स्थिति में भी उत्पादन प्राप्त किया जा सके। (जैसे - चावल की सबमर्सेस - I & II)

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मखाना तथा सिंघाड़ा की कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बाढ़ नियंत्रण के लिए चीन, नेपाल, भूटान से भी समझौते किए गये हैं। भारत - भूटान के सहयोग से 'समग्र स्कीम' नामक योजना चलाई जा रही है जिसमें मौसम विज्ञान, जल विज्ञान से संबंधित माँकड़ों के साधन-प्रदान एवं बाढ़ पूर्व सूचना नेटवर्क का विकास किया गया है। अतलज एवं ब्रह्मपुत्र

नदी से संबंधित जल वैज्ञानिक (Hydrological) माँकड़ी को उपलब्ध कराने के लिए चीन से समझौता किया गया है।

नदी जोड़ों परियोजना की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हो चुका है।

सुझाव

(CWRM)

पयोग (1) 1975 में केन्द्रीय प्लानिंग आयोग द्वारा वाटरशेड क्षेत्रों से संबंधित एक 'मॉडल बिल' तैयार किया गया था। इस बिल में वाटरशेड क्षेत्रों में भूमि उपयोग तथा विकास कार्यों को विनियमित करने हेतु प्रत्येक राज्य में वाटरशेड क्षेत्र प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया था। प्राधिकरण का कार्य वाटरशेड क्षेत्र के लिए योजना निर्माण, वाटरशेड क्षेत्र का निर्धारण तथा कानूनों को लागू करना था। मात्र तीन राज्यों ने ही इसे क्रियान्वित किया है। परन्तु इन राज्यों में भी बिल के प्रावधानों को उसी रूप में लागू नहीं किया गया है। वाटरशेड नियंत्रण हेतु उपरोक्त प्रावधानों का क्रियान्वयन आवश्यक है।

(2) मौसम पूर्वानुमान को सटीक एवं विश्वसनीय बनाना इसके लिए मानसून मिशन भी चलाया जा रहा है तथा टी.वी., रेडियो, SMS आदि के माध्यम से बाढ़ चेतावनी तंत्र को मजबूत बनाना।

(3) बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में (आश्रय स्थल) का विकास

(4) सूक्ष्म क्रेडिट एवं सूक्ष्म बीमा की सुविधा

बाढ़ से पहले इनके माध्यम से Flood Centre

८५) वर्षा जल संचय, छोटे - छोटे अवरोधकों का निर्माण (खेड़ उम) आदि के द्वारा जल प्रबंधन को बेहतर बनाना।

८६) वायुमंडल क्षेत्रों में संचार के वैकल्पिक साधन जैसे - सैटेलाइट फोन आदि से व्यवस्था करना।

८७) खोज एवं बचाव से संबंधित आधुनिक उपकरणों एवं आधुनिक को उपलब्ध करवाना।

८८) गाँव एवं प्रखण्ड स्तर पर आपदा प्रबंधन स्थानीय स्तर पर आपदा समितियों का गठन करना तथा आपदा प्रबंधन समिति से संबंधित तैयारियों को जाँचने हेतु MOCK drill करना।

८९) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना।

यह Mass
movement
के संतर्गत
आता है।

भू-स्लखन (Landslide) / Landslip

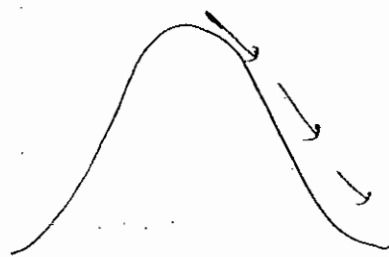
Mass movement

→ चट्टानों का धीरे-2

→ Soil creep (मृदा सर्पण) खिसकना

→ Mud slip / Mud flow
मृदा के कण पल में मिलकर
कीचड़ के रूप में प्रवाहित

→ Landslide → चट्टानों का बृहद
मात्रा में विस्थापन



प्रभावी कारक

- बाल (तीव्र
बाल में भूस्खलन
तीव्र)
- चट्टानों की संरचना

Landslide → जोन IV
सामान्यतः हिमालय,
western Ghats में

कारण

- भूकंप
- वर्षा एवं हिमपात
- नदी के द्वारा बाल के
आधार की चट्टानों का
कटाव

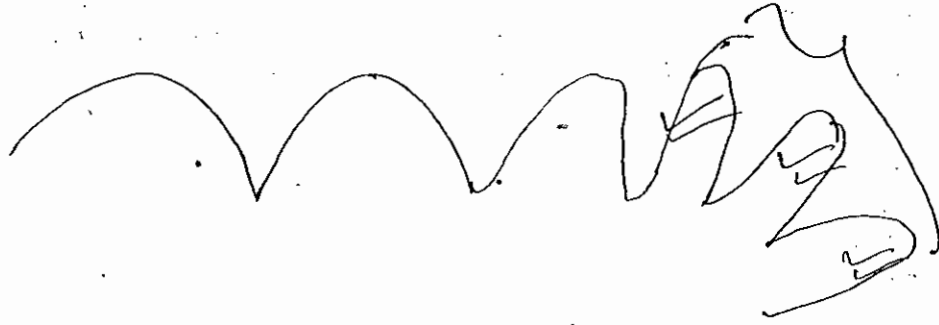
मानवीय कारक

- अनियोजित विकास
- वनों का विनाश
- पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क,

कृत्रिम बाल का निर्माण
जिससे चट्टानें
असंतुलित



- बिस्फीट द्वारा बहानों को तोड़ना इससे आसपास की बहाने कमजोर
- खनिजों का खनन
- नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन (प्रवाह को मोड़ देना)



श्रृंखला
इन क्षेत्रों
में अधिक
मध्य हिमालय
में भूस्खलन
सर्वाधिक



जीवाश्म

→ वास्तविक पर्वत नहीं

Western घाट → यहाँ चोटियाँ हैं जो नहीं अपरदन से बनी हैं।

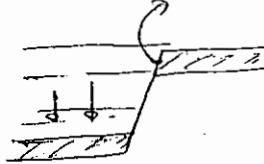
उ०

ये वास्तव

में scarp

(कगार) हैं

बहाने
↓
कगार



पश्चिमी ढाल तीव्र

पठार पूर्वी ढाल

बहुत कम हैं।

पश्चिमी घाट

का जनसंख्या

घनत्व अधिक

• कौंकण रेलवे परियोजना

भूस्खलन का तात्पर्य पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढाल के सहारे चट्टान, मलबा आदि की बृहद् गति का नीचे गति से नीचे की ओर स्थानान्तरण से है। भूस्खलन पर निम्नलिखित कारकों का प्रभाव पड़ता है -

- <1> चट्टानों की संरचना
- <2> ढाल की तीव्रता
- <3> चट्टानों में जोड़ (joint), दरार (fracture) आदि की उपस्थिति
- <4> वर्षण एवं हिमपात की मात्रा
- <5> जनसंख्या का अभाव

भूस्खलन के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही कारक उत्तरदायी हैं। अनियोजित एवं अथाध्युंक्ष विकास कार्यों के कारण संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएँ एवं उनकी गहनता बढ़ जाती है।

प्राकृतिक कारक

- <1> भूकम्प
- <2> भारी वर्षा एवं हिमपात
- <3> नदियों द्वारा ढाल के आधार की चट्टानों का कटाव

मानवीय कारक

- (1) निर्वनीकरण
- (2) सड़क, रेलमार्ग, सुरंग आदि के निर्माण के लिए चट्टानों का कटाव एवं विस्फोट के द्वारा चट्टानों को तोड़ना
- (3) कृत्रिम ढाल के निर्माण के कारण चट्टानों में असंतुलन
- (4) खनिजों की खुदाई
- (5) अपवाह तंत्र को परिवर्तित करना
- (6) धान की कृषि

भारत में भूस्वखन से प्रभावित क्षेत्र

- (1) हिमालय एवं उत्तर-पूर्वी भारत :- सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र

कारण

- (a) हिमालय का नवीन मौड़दार पर्वत होने तथा उत्थान जारी रहने के कारण चट्टानों में असंतुलन
- (b) कौमल परतदार संरचना
- (c) High seismic zone (Zone IV & V) & Very High
- (d) हिमपात, भूसलाधार वर्षा एवं बादल फटना

- (2) पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र - हालांकि यह

क्षेत्र भूस्वखन से कम प्रभावित है, परन्तु

अधिक जनसंख्या के कारण बुकमान की आबादी अधिक होती है।

कारण

- (a) पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल का क्षतिग्रस्त होना क्योंकि यह एक SCarp (कगार) है।
- (b) भारी वर्षा
- (c) लोकल रेलवे के निर्माण के पश्चात भू-स्खलन की घटनाओं में कई चुनी वृष्टि हुई है।

प्रभाव

- <1> सड़क, रेलमार्ग, पुल, मकान आदि संरचनाओं का क्षतिग्रस्त होना तथा जन-धन की हानि
(eg. 1998 में माल्या क्षेत्र में भूस्खलन के पश्चात सम्पूर्ण गाँव ^(कैलाश मानसरोवर) नष्ट हो गया
झील में उत्तराखण्ड में भूस्खलन के कारण व्यापक पैमाने पर क्षति हुई है।)
- <2> परिवहन एवं संचार के नष्ट होने के कारण आपसी सम्पर्क टूट जाना जिसके फलस्वरूप राहत एवं पुर्नवास कार्यों में कथा
- <3> कृषि भूमि का नष्ट होना
- <4> भूस्खलन के फलस्वरूप नदियों का प्रवाह मार्ग अवरुद्ध होने से दृष्टिम झील का निर्माण, क्षतिग्रस्त के टूटने के पश्चात बाढ़

(सतलप की सहायक नहीं) में उपरोक्त समस्या के कारण हिमालय प्रदेश में सतलप नहीं में भयानक बाढ़ आई जिसके फलस्वरूप व्यापक नुकसान हुआ।

नियंत्रण की दिशा में किये गये उपाय

- (1) भू वैज्ञानिक संरचना, जलविज्ञान (Hydrology), वनस्पति, वर्षण की मात्रा, भूस्खलन का इतिहास आदि के अध्ययन के आधार पर केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (C R R I) द्वारा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- (2) भूस्खलन की अधिक आशंका वाले क्षेत्रों में वास्तियों के विकास एवं अन्य संरचनात्मक गतिविधियों / क्रियाकलापों को नियंत्रित करने हेतु कानून बनाये गये हैं।
- (3) ढाल के नीचे दीवार, स्तम्भ (Pillar), आदि के निर्माण के द्वारा भूस्खलन को रोकने के उपाय किये गये हैं।
- (4) वनीकरण कार्यक्रम को अपनाया गया है।

सुझाव

- (1) भूस्खलन की तीव्रता के आधार पर Micro level zoning (सूक्ष्म स्तर पर क्षेत्रों का विचारण)

(2) नदियों के अपवाह तंत्र में परिवर्तन / हस्तक्षेप पर रोक

(3) सड़क, रेलमार्ग आदि निर्माण कार्य से पूर्व भूतकनीकी जाँच तथा संवेदनशील क्षेत्रों में इनके निर्माण पर रोक

(4) खदानों में विस्फोट पर रोक तथा खदानों के कलाई से सुरक्षित तकनीक को अपनाना

(5) अनिवार्य बीमा की सुविधा

(6) - आभुवाधिक जागरूकता, प्रशिक्षण एवं तैयारी पर बल

(7) नियते स्तर तक आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाना

(8) शै प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों सहित आपदा से संबंधित अन्य उपकरणों की उपलब्धता

Date
7/8/18

उत्तराखण्ड त्रासदी

Global
warming

जितना
आधिक
convective
current

हाल ही में उत्तराखण्ड में आई
आपदा के लिए कुछ अन्य कारणों
को भी उल्लेखनीय माना जा रहा है -
वैज्ञानिकों का मानना है कि
मानसून पूर्व काल (Mar, Apr, May)
में भारी हिमपात हुआ

Extreme
weather
condition

Construction
at Flood
prone area

water
specific
heat capacity

8 times is more
3°C 1°C

Land Water

1000 cal 1000 cal

good conductor
is good
radiator

0.01 Rainfall

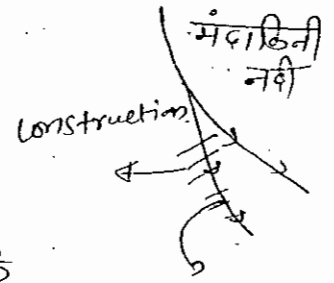
से हिम
के पिघलने
की गति
बढ़ गई

हवा की
तुलना में
पानी में

heat
ज्यादा

(1) मानसून के आगमन के
पूर्व पूर्वी पश्चिमी प्रशान्त की तुलना
में पूर्वी हिन्द महासागर के
विषुवतीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक
संवहन धाराओं की उत्पत्ति हुई
तथा इसकी तुलना में बंगाल की
खाड़ी में और अधिक संख्या
में संवहन धाराएँ उत्पन्न हुई।

जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में निम्न
दाब का विकास हुआ। निम्न दाब
के विकास के कारण मानसून का
समय से पूर्व आगमन हुआ,
मौसलाधार मानसूनी वर्षा एवं बादल
के फटने के कारण उत्तराखण्ड में
हिम के पिघलने की दर काफी बढ़
गई। जिसके फलस्वरूप बर्फ के प्रकोप



पुराना
मार्ग

मौसमी

show →
स्थिर

unstable

गतिशील

1. 100 km में और भी अधिक बढ़ि हुई । अत्यधिक
 1. 100 km वर्षा के लिए ग्लोबल वार्मिंग को भी एक
 एक कोई कारण के रूप में संभावना जताई जा रही है।
 निर्माण
 कार्य नहीं
 होना
 चाहिए

सूखा धीरे-

धीरे आता है।

यह अपेक्षाकृत

अधिक समय

तक रहती है।

68% में

सूखा

यह समस्या

भारत में

कही न कही

हमेशा बनी

रही है।

इसे नियंत्रित

करना आवश्यक

है।

कारण

S - W

monsoon

की अनिश्चितता

व अनियमितता

वर्षा में

विषमता

85% area में

< 75 cm

rainfall

25% →

75 - 112.5 cm

कभी - कभी

112.5 - 150 cm

के क्षेत्र में

भी सूखा

Drought (सूखा)

सूखे के प्रकार

1. मौसमी सूखा

2. कृषि सूखा

3. जल वैज्ञानिक सूखा

4. पारिस्थितिक सूखा

1. यदि सामान्य में 19% तक

कम वर्षा तो मौसमी सूखा

2. यदि फसलों की मृदा में
नमी का अभाव ∴ फसलें
सूख जाती हैं।

3. यदि सतह का जल सूख जाये
और भूमिगत जल स्तर नीचे
चला जाये

4. पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता
कम हो जाती है यदि लंबे समय
(Ecosystem असंतुलित) तक कृषि सूखा
+ जलवैज्ञानिक सूखा

यदि लंबे समय तक पारिस्थितिक
सूखा तो Desertification

कच्छ, कानपुर, जालंधर को
भिलाने से वना भाग सबसे
अधिक सूखा प्रभावित

↳ राजस्थान, पश्चिमी UP
(सुंदरगढ़)

जहाँ वर्षा

कम होगी है

वहाँ वर्षा

ही परिवर्तित

(variability)

उतनी ही ज्यादा

= > 25%

↳

हठार - रणव

0. वाद और

सूखा कई

क्षेत्रों में

एकसाथ

मानवीय कारक

0. water harvest
management
उचित प्रकार से
नहीं

0. सिंचाई मात्र
45% क्षेत्र में

0. dryland
farming की

दिशा में प्रयास
कम

0. deforestation
& overgrazing

0. Inter state
water dispute

लेह
का
भारत का
सबसे शुष्क
स्थान

पश्चिमी घाट का बृहत् छाया क्षेत्र
लेहख (सबसे कम वर्षा)

Homeostasis → Ecosystem स्वयं अपना
imbalance दूर करे

७७ →
२० mm
खाद्या.
कमी

अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में

सूखा निम्नालिखित दृष्टि से भिन्नता रखता है -

२०२ →
२५ mm

<1> slow on-set (सूखा धीरे-धीरे आता है)

<२> प्रभाव अधिक समय तक होता है।

२१३ - १:

<३> सर्वाधिक क्षेत्र एवं सर्वाधिक जनसंख्या
इससे प्रभावित होती है।

सूखा

भारत

जलवायु

भारत

के

कुछ

प्रकार में

DPAF

DDP

<४> प्रभाव मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या पर पड़ता है।

<५> अन्य आपदाओं की तुलना में सूखे का
प्रबंधन अपेक्षाकृत सरल है।

भारत में सूखे का संबंध मुख्यतः

(दक्षिण - पश्चिम मानसून) से है क्योंकि देश
में ७०% से अधिक वर्षा इसी से होती है।

मानसून काफी अनिश्चित एवं अनियमित होता है

(10 वर्षों में ६ वर्ष)

→ वर्षा में स्थानिक (spatial) एवं कालिक
(Temporal) विषमता पाई जाती है। देश

में एक तिहाई क्षेत्र में ७५ cm से कम वर्षा

होती है तथा ३५% क्षेत्र ७५ cm - ११३.५ cm वर्षा

प्राप्त करता है जो कि अपर्याप्त है। कम

वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तित

एवं क्षतिग्रस्त और भी अधिक होती है। मानसूनी वर्षा काल में भी कभी-कभी लम्बा शुष्क अन्तराल (dry spell) होता है। भारत की 55% क्षेत्र ही कृषि वर्षाशीत (Rainfed) है।

मानवीय कारक

- <1> मृदा, जल आदि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन न होना
- <2> निर्वनीकरण एवं क्षतिवारण
- <3> सिंचाई आधनों के समुचित रखरखाव के अभाव तथा दोषपूर्ण सिंचाई तकनीक के कारण सिंचाई समता का कम प्रयोग
- <4> शुष्क कृषि तकनीक का अविकसित होना
- <5> वर्षा जल संचय पर ध्यान न देना
- <6> अन्तर्राष्ट्रीय जली जल विवाद

सूखे के प्रकार

सूखा प्रभावित क्षेत्र

भारत का लगभग 68% क्षेत्र सूखा प्रभावित है जिसमें से एक-छिहई क्षेत्र में प्रायः प्रतिवर्ष सूखा पड़ता है जिससे 18% जनसंख्या प्रभावित होती है।

- <1> कच्छ, कानपुर एवं जालंधर को मिलाने वाली रेखा के पश्चिम स्थित क्षेत्र भारत का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है।

<१> पश्चिमी घाट के वृषि छाया प्रदेश में स्थित क्षेत्र

<३> कुछ अन्य क्षेत्र - लद्दाख, उड़ीसा में K B K क्षेत्र (कालाहांडी कोरापुर बोलांगीर), - झारखंड में चतरा एवं पलामू, UP के दो जिले मिर्जापुर एवं सोनभद्र, WB का पुरुबिया

प्रभाव

making
example
should be

<1> वृषि उत्पादन में अत्यधिक कमी जैसे 1982 में 20 mm ton की गिरावट तथा 2002 में 25 mm + की गिरावट।

<२> स्वाधान की कमी के कारण एक क्षोर कीमत में वृद्धि तो दूसरी क्षोर बेरोजगारी के कारण गरीब जनसंख्या के क्रयशक्ति में कमी जिसके फलस्वरूप खाद्य एवं पोषाहार की गंभीर समस्या, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि

<३> पारा के अभाव के कारण वही संख्या में मवेशियों की मृत्यु

<५> पैयजल का संकट

<६> हाल के वर्षों - में सूखे के कारण हमारे की संख्या में छिन्नानों - ठारा आत्महत्या या नगरों की क्षोर प्रवास

(6) कृषि आधारित उद्योगों के लिए ऊर्च्य माल की कमी तथा लोगों की कृयशक्ति में कमी के कारण औद्योगिक उत्पादों के मांग में कमी फलस्वरूप औद्योगिक विकास दर में गिरावट।
 अंतर : सांघिक संवृद्धि दर में गिरावट

(7) निरंतर सूखे की स्थिति में पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास तथा मरुस्थलीकरण

• सिंचाई के माधनो का विस्तार
 • AIBP, CAP, भारत निर्माण
 • फसलों का विविधीकरण
 • dryland farming के लिए डिजानों को भागरुक
 • शु. पूसा मूंग, औरावरु कपास
 • कर्नाटक रागी
 • watershed prog. →
 • soil conservation,
 • soil & water mgn
 • (watershed management in Rainfed area)

• शोजगार के वैकल्पिक माधनो जैसे - कुटीर उद्योग का विकास
 • वफर स्टॉक की अवस्था (अकाल व सूखमरी से समस्या न हो)
 • मौसम पूर्वानुमान को ज्यादा विश्वसनीय बनाना (satellite, monsoon mission)

Hailstorm, Fidda affected
 Drought mgn under
 Dept of Agriculture & corporation
 other disaster under Home Ministry

• interlinking of Rivers
 • National Disaster Response Fund (NDRF), SDRF
 • Drought ^{prone} Area prog. (DPAP)

उपाय

स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही सूखा नियंत्रण की दिशा में ध्यान दिया गया तथा कई कदम उठाए गए

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

(Multi River valley project, लघु सिंचाई ^{purpose} परियोजना, कमान क्षेत्र विकास, AIBP, भारत निर्माण आदि) (CAO)

वर्तमान में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई

फसलों का विविधीकरण

सूखा प्रतिरोधी तथा कम समय में तैयार होने वाले बीजों का विकास जैसे - पन्ना मूंग, मौरावट्ट कपास, कर्नाटक रागी आदि

शुद्ध कृषि तकनीक को प्रोत्साहन

(2nd green Revolution में इस पर काफी बल दिया गया है)

वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का विकास जैसे - कुटीर उद्योग, बागवानी आदि

मृदा, जल, वनस्पति एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा उत्पादकों को बढ़ाने के लिए Watershed Management Prog.

3) खाद्यान्नों के वफर शॉक की व्यवस्था

<8> उपग्रह एवं कम्प्यूटर तकनीक द्वारा मौसम पूर्वानुमान का आधुनिकीकरण

<9> आपदा प्रबंधन तंत्र का गठन, NDRF, SDRF के द्वारा सहायता

<10> मनरेगा के अंतर्गत कार्यदिवस की न्यूनतम संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 तक करना

<11> नंदी जोड़ो परियोजना की दिशा में प्रयास (नदियों को जोड़ने)

DPAP → क्षेत्र आधारित कार्यक्रम

5th FYP में आरंभ

→ preventive prog. वि.

most sensitive system

उद्देश्य - सूखा की गहनता कम करना, उत्पादकता बढ़ाना

- Mountain
- coastal
- desert

Soil & moisture का संरक्षण (Mulching)

Cropping pattern according to ecosystem.

Curative (उपचारात्मक) → सूखा आने के बाद

DPAP

(सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम)

सूखाग्रस्त क्षेत्रों की कुछ विशिष्ट समस्याएँ हैं।

अतः इन समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न

कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई तथा

5th plan में DPAP प्रारंभ किया गया। इस

कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि (मृदा), जल, जैविक

संसाधन आदि प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम

उपयोग द्वारा सूखे की गहनता को कम करना,

गरीब जनसंख्या की आय में वृद्धि करना तथा

सूखाग्रस्त क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को

बनाये रखना है। इस कार्यक्रम के सततगति

सूखे से बचाव (prevention) तथा सूखे

के उपचार के लिए (curative) कई कदम

उठाए गए हैं -

(1) लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई साधनों एवं तकनीक का प्रयोग

(2) मिट्टी में नमी संरक्षण द्वारा शुष्क कृषि के विकास को प्रोत्साहन - नमी संरक्षण हेतु mulching (मलिंग) को अपनाना
↳ cover

(3) जलाशयों से गाढ़ का निवृत्तन ताकि इनमें वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण किया जा सके।

<4> रोजगार के वैकल्पिक साधन के रूप में पशुपालन एवं कुटीर उद्योगों का विकास

<5> कनीकरण का विस्तार

<6> पारिस्थितिकी के अनुरूप कृषि प्रणाली तथा फसल प्रतिरूप का विकास

<7> सड़क, विद्युत आपूर्ति आधारभूत सुविधाओं का विकास

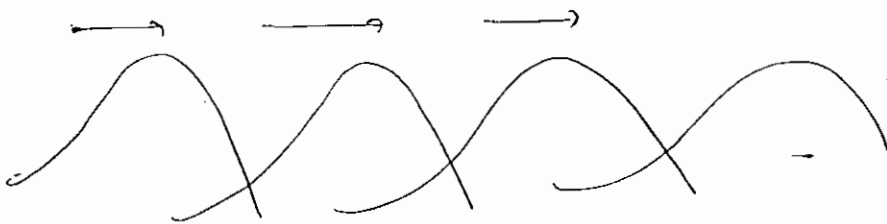
<8> पेयजल की सुविधा का विस्तार

<9> सूखे की स्थिति में सामुदायिक परिवर्धनियों के निर्माण के माध्यम से रोजगार प्रदान करना।

वर्तमान में यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 195 जिलों में चलाई जा रही है।

DOP (Desert Development Prog.)

↳ उष्ण मरुस्थल + शीत मरुस्थल (HP, JK)
(RJ, GJ, HR, KN)



• Green Belt (मरुस्थल के सीमावर्ती क्षेत्रों में)

wind के साथ बालू का स्तूप गतिशील होते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया कम हो रही है।

यह कार्यक्रम 5th FYP में प्रारंभ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के प्रसार (मरुस्थलीकरण) को रोकना, सूखे के प्रभाव को कम करना, स्थानीय संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाकर लोगों की सहाय में प्रदान करना तथा मरुस्थलीय प्रदेश में पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित उपायों पर बल दिया जा रहा है -

(1) बालूका स्तूपों/टिबों का स्थिरीकरण
(भागों बढ़ने की प्रक्रिया को रोकना)

(2) वनीकरण विशेष रूप से मरुस्थल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हरित पट्टी का विकास

(3) सीमावर्ती क्षेत्रों में पवन संचालकों का निर्माण (पवन की गति को कम करने के लिए)

(4) वर्षा जल संचयन

(5) रोजगार के वैकल्पिक साधनों का विकास जैसे - कुटीर उद्योग

(6) पेयजल की सुविधा का विस्तार

(7) मृदा एवं जल प्रबंधन

यह कार्यक्रम 7 राज्य, 40 जिलों, 435 ब्लॉक में यह परियोजना चलाई जा रही है। जिसमें 5 राज्य उष्णकटिबंधीय मरुस्थल से संबंधित (MR, RJ, N. PJ, AP, KN) दो ग्रीन

<1> अनेक कार्यक्रमों के बावजूद सूखा प्रबंधन का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं सुधार पर बल दिया जाये।

<2> सूखे से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन संस्थान (NDMI) की स्थापना की जाये।

<3> दीर्घकालीन मौसम पूर्वानुमान में सुधार लाया जाये (weather forecasting before 2 to 3 Month)
Remote sensing satellite

<4> दूरसंवेदन उपायों द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों की यथाशीघ्र पहचान करना ताकि समय पर सूखा राहत कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। इसके लिए अत्यंत सूखाग्रस्त जिलों में NRSA (National Remote sensing Agency) का भी स्थापना की जाये।

PDS <5> सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि सूखे के कारण अकाल एवं भुखमरी की समस्या उत्पन्न न हो

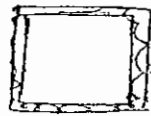
<6> सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुचारा बैंक (Fodder Bank) की स्थापना

२७) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हृषि वापिनी
गयो दीजल सादि ही हृषि को (Agro-forestry)

↓ वदावा देना

जेट्रोफा की हृषि

(शुष्क क्षेत्रों का पौधा)



↗

खेत के चारों ओर

कम फैलने वाले तथा

अधिक ऊँचाई वाले वृक्षों को लगाना

(एगो फोपलर का वृक्ष)

ऐसे वृक्ष जिनके पत्ते शीत ऋतु

में गिर जाते हैं ताकि सूर्य

का प्रकाश हृषि को मिल सके

२८) जलवायु परिवर्तन के - प्रभावों का आकलन

२९) प्रत्येक राज्य में क्षेत्र विशेष के लिए सूखा

मैनुअल (सूखे से संबंधित जानकारी) एवं

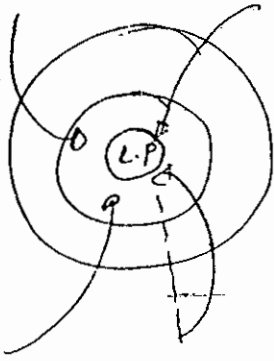
कॉड (उपाय से संबंधित) का निर्माण किया

जाना चाहिए ताकि सूखा पर्यटन से संबंधित

कार्यक्रमों का त्वरित एवं प्रभावी क्रियारचन

किया जा सके।

चक्रवात (Cyclone)



Northern Hemisphere

में anticlockwise

उपोष्णकटिबंधीय

$5^{\circ} - 30^{\circ}$

आपदा



विनाशकारी

शीतोष्ण कटिबंधीय

$30^{\circ} - 65^{\circ}$



ये हानिकारक नहीं होते

भारत में दोनों प्रकार के चक्रवात आते हैं।

Coriolis force moves wind right side

शीत ऋतु में उत्पन्न शीतोष्ण चक्रवात से

उत्तर भारत में वर्षा



वायु दाब प्रवणता कम



वायु की गति कम

उष्ण कटिबंधीय

इत्यादि के लिए उत्तरदायी कारक

1. तापमान 27°C
2. केवल महासागर में उत्पन्न
3. विषुवत रेखा पर उत्पन्न नहीं होते

ज्यादातर $0^{\circ} - 25^{\circ}$ के मध्य

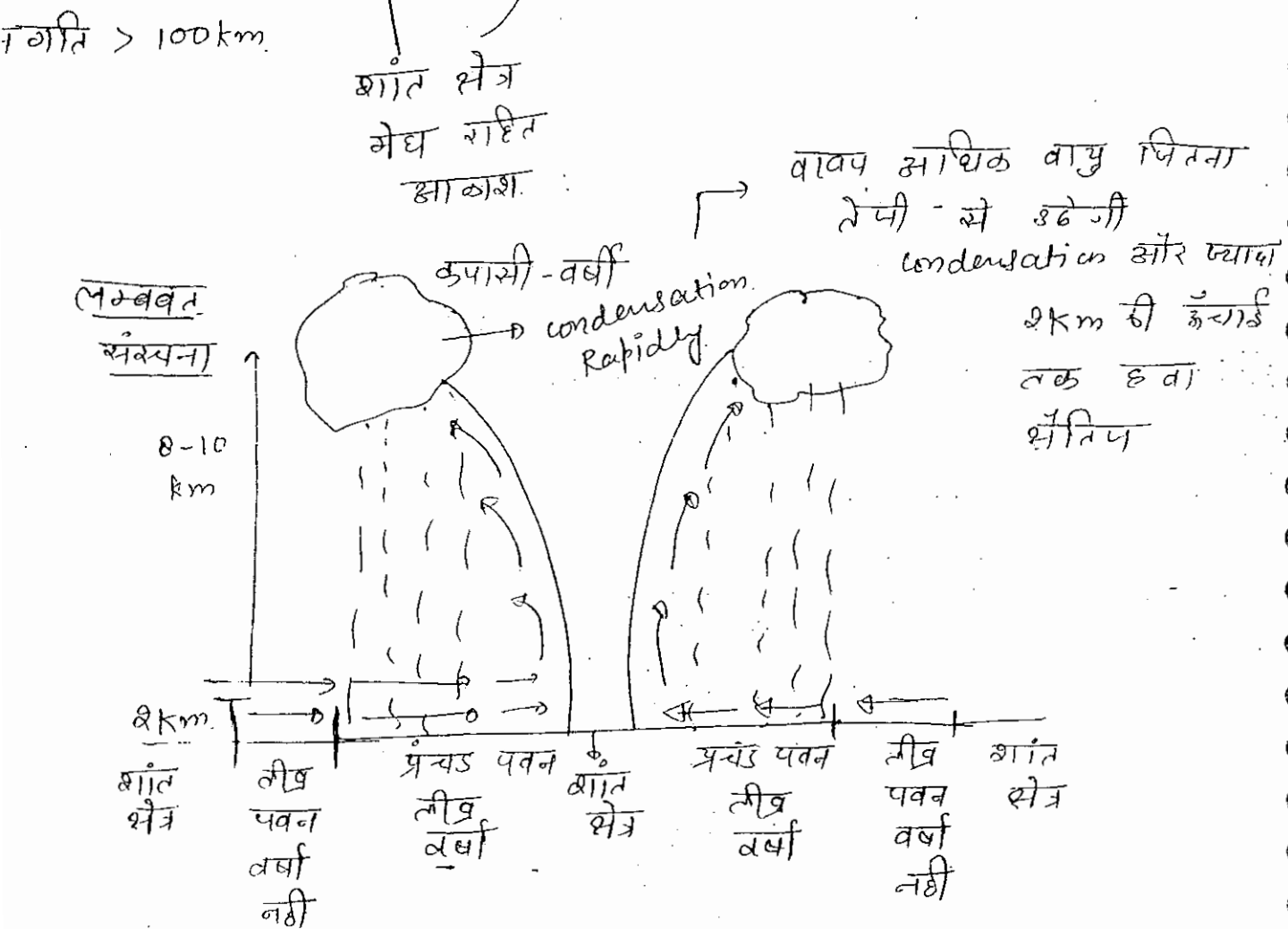
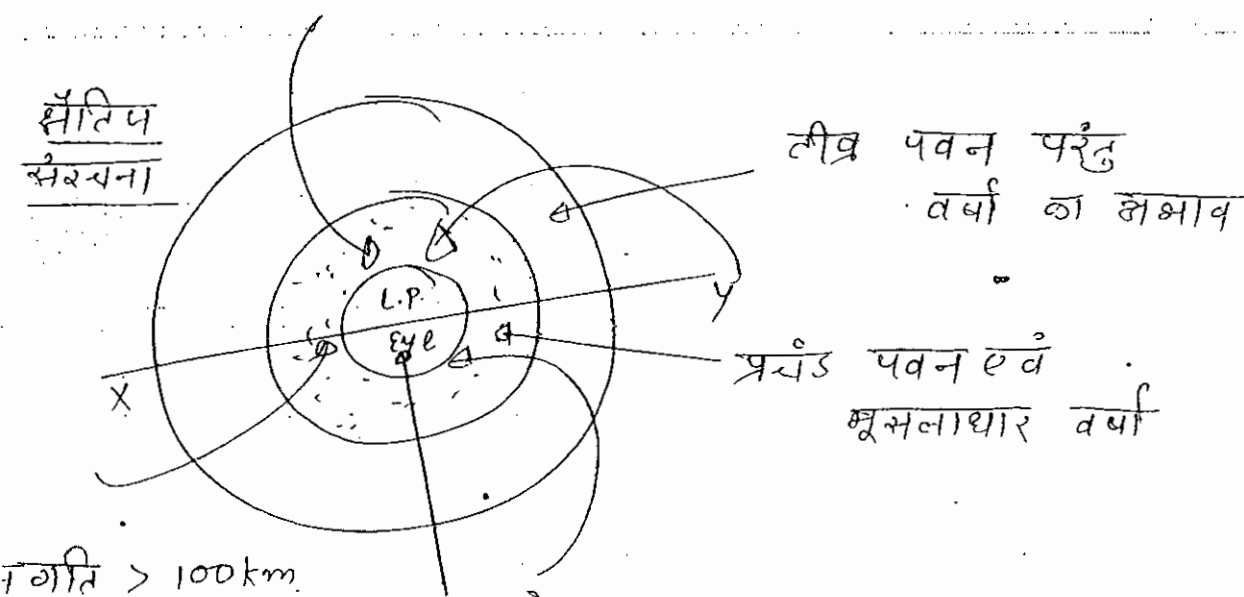
2 mature cyclone में 100 हाइड्रोजन बम के बराबर क्षति
कारण - संघनन से मुक्त ऊष्मा

Adiabatic lapse rate वाष्पित जलवाष्प में ताप ही कमी तथा RH reaches 100%

वायु में जितना अधिक जलवाष्प होगा उतना

ज्यादा Latent heat $\rightarrow$ ऊँचा उतनी जल्दी ऊपर

वायु का तापमान १ आर्द्रता गृहण करने की क्षमता १



तुलना के तीन कारण

1. storm surge (तुलानी तरंगों)
2. प्रचंड पवन
3. भारी वर्षा

cyclone eye के तट पर Tornado → water spot
 पहुँचने से तरंगें 40ft
 ऊपर उठती हैं जिससे
 समुद्री तटीय क्षेत्रों में
 80 km-सँकर जल चला
 जाता है।

coastal में स्ट्रिम के रूप
 area में महासागर
 का पल ऊपर
 36cm।

२५
 भूमि लवंगीय / बायू का निक्षेपण (२०%)
 विश्व का ६% cyclone in Arab sea + (८०%)
 North में ज्यादा Bengale Bay
 ७ तापीय विषुव रेखा उत्तर में
 (4cm. अधिक) छोटा

cyclone → pre monsoon + post monsoon
 ज्यादा खतरनाक

